मध्यप्रदेश में बच्चों की स्थिति पर

श्वेत पत्र

चुनावी वादे सरकारी दावे और जमीनी हकीकत

मध्यप्रदेश लोक संघर्ष साझा मंच एवं हिफाजत नेटवर्क द्वारा जारी

15314
CLIC
SOPHEA

मध्यप्रदेश में बच्चों की स्थिति पर श्वेत पत्र

चुनावी वादे सरकारी दावे और जमीनी हकीकत 2013

मार्गदर्शन : गोविंद यादव, गौतम बंधोपाध्याय, जया सिंह

संकलन, विश्लेषण एवम लेखन : जावेद अनीस, उपासना बेहार, राजेश भदौरिया, रेखा श्रीधर, देवकांत त्रिपाठी एवं पल्लवी माली

सहयोग : क्राई (चाइल्ड राइट्स एंड यू), नई दिल्ली

सम्पर्क : मध्यप्रदेश लोक संघर्ष साझा मंच/ हिफाजत

ई 7/6 एस.बी.आई. कॉलोनी, अरेरा

ई-मेल

ब्लॉग

प्रिंटिंग एवं डिजाईनिंग

SOCHARA
Community Health
Library and Information Centre (CLIC)
Community Health Cell
85/2, 1st Main, Maruthi Nagar, Madiwala,
Bengaluru - 560 068
Tel : (080) 25531518 email : clic@sochara.org
www.sochara.org

संयोजक की ओर से

प्रदेश में बाल अधिकारों को गति देने के लिए विधानसभा चुनाव से हम सभी की बहुत उम्मीदें हैं। विधान सभा चुनाव में ही तय होगा कि, कौन सा राजनैतिक दल नई सरकार में पक्ष या विपक्ष की भूमिका निभाएगा। सत्ता या विपक्ष में कोई भी दल हों पर हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रदेश में जो भी राजनैतिक दल काम कर रहे हैं वे सक्रियता से काम करें साथ ही अपने एजेंडे में बाल अधिकारों के मुद्दों को न सिर्फ शामिल करें बल्कि बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए पक्षकार भी हों। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्थाएं, जनसंगठन और नागरिकों द्वारा राजनैतिक दलों के संवेदीकरण हेतु समय–समय पर विभिन्न प्रक्रियाएं संचालित की जाती रहीं हैं।

इसी कड़ी में वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश लोक संघर्ष साझा मंच द्वारा बाल अधिकारों के संदर्भ में चुनाव घोषणा पत्र एवं स्थानीय स्तर पर उम्मीदवारों के लिए वायदा पत्र तैयार किए थे। कई राजनैतिक दलों द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित मंच द्वारा उठाए गए बिंदुओं को अपने चुनाव घोषणापत्र में शामिल किया गया था। इसी प्रकार वर्तमान विधानसभा चुनाव 2013 के लिए भी मंच द्वारा चुनाव घोषणा पत्र, बाल अधिकारों के लिए जागरूकता पर्चा तैयार किया गया है। मंच द्वारा चुनाव घोषणापत्र प्रदेश के सभी प्रमुख राजनैतिक दलों को सौंपा जा चुका है। मंच के साथी संस्था संगठनों द्वारा स्थानीय स्तर पर समुदाय, मीडिया, उम्मीदवार, स्थानीय जन प्रतिनिधि आदि के साथ इस विधानसभा चुनाव में बाल अधिकारों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

वर्ष 2013 के चुनाव में हम सभी के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि राजनैतिक दल चुनाव के समय वायदे तो बड़े–बड़े कर लेते हैं लेकिन सत्ता में आने के बाद अपने वायदों पर कायम नहीं रहते या उनकी प्राथमिकताओं में अन्य विषय आ जाते हैं। इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार हमने तय किया कि, हम इस बात का आंकलन करें कि वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में राजनैतिक दलों ने बच्चों के हित में क्या वायदे किए थे और सरकार बनने के बाद पक्ष और विपक्ष के रूप में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए वे अपने वायदों पर कितना कायम रहे।

इस श्वेतपत्र को तैयार करने का हमारा दूसरा उद्‌देश्य है कि, चुनाव प्रक्रिया में आम लोगों की भागीदारी बढ़े खास तौर महिलाएं, युवा और विकास से वंचित लोग आगे आएं और बाल अधिकारों की स्थिति को समझ कर इस चुनाव में भागीदारी करें।

इस श्वेतपत्र को तैयार करने में हमें कई स्रोतों से प्रेरणा और मदद मिली है। मंच की ओर से मैं इन सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं।

संकेत संस्था भोपाल ने बच्चों के लिए उपलब्ध बंजट एवं उसका विश्लेषण उपलब्ध कराने में सहयोग किया। मध्य प्रदेश लोक संघर्ष साझा मंच एवं हिफाजत के पार्टनर्स और साथियों के साथ हमने इस श्वेत पत्र को लेकर एक दिन की बैठक की थी इसे बेहतर बनाने के लिए सदस्यों से जो फीडबैक मिला उसके लिए इन सभी सदस्यों का धन्यवाद।

पत्र को तैयार करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी जमा करना और उसको विश्लेषण करके आकार देने में जावेद अनीस, उपासना बेहार, रेखा श्रीधर और राजेश भदौरिया ने बड़ी भूमिका निभाई है इनके प्रयासों के फलस्वरूप यह श्वेत पत्र तैयार हो सका है।

उम्मीद है कि यह श्वेत पत्र विभिन्न राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों, स्थानीय जनप्रतिनिधि, समुदाय एवं बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम कर रहे साथी संस्था / संगठनों के लिए उपयोगी होगा और प्रदेश में बाल अधिकारों को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा।

गोविंद यादव

संयोजक– मध्य प्रदेश लोक संघर्ष साझा मंच

अनुक्रमणिका

पेज नं

प्रतावना 3

2008 के चुनाव में राजनीतिक पार्टीयों द्वारा किये गये वायदे 5

वर्तमान सरकार की बच्चों से संबधित प्रमुख योजनाएं 8

स्वर्णिम म.प्र निर्माण में बच्चों से सबंधित संकल्प 10

सरकार द्वारा किये गये दावे और जमीनी हकीकत 11

- शिक्षा
- मातृत्व एवं बालस्वास्थ्य
- कुपोषण
- बाल सुरक्षा
- सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य एवं मध्यप्रदेश की स्थिति

बच्चों के लिए बजट 25

म.प्र. की 13 वीं विधानसभा के 10 वें सत्र के दौरान विधान सभा में बच्चों से संबंधित पूछे गये प्रश्न 29

हमारी मांगें 31

संलग्नक 36

- टेबल 1– मध्य प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु का जिलावार विवरण 2008–09 और 2012–13
- टेबल 2 – मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव का विवरण वर्ष 2008–09 एवं 2012–13 के बीच
- टेबल 3– मध्य प्रदेश में टीकाकरण की जरूरत वाले बच्चे एवं संपूर्ण टीकाकरण का जिलावार विवरण वर्ष 2010–11 एवं 2012–13
- टेबल 4–एन.आई.एन. की रिपोर्ट 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में बच्चों के टीकाकरण की जिलावार स्थिति।
- टेबल 5–एन.आई.एन. की रिपोर्ट 2012 के अनुसार मध्यप्रदेश में 0 से 5 साल के बच्चों के कुपोषण की जिलेवार स्थिति
- टेबल 6 – म्ध्य प्रदेश में स्वास्थ्य केन्द्रों की जिलावार उपलब्धता का विवरण वर्ष 2007–2012 एवं 2007–08– के बीच
- टेबल 7 – मध्य प्रदेश में शासकीय एवं प्राइवेट शालाओं के उपलब्धता की की जिलेवार संख्या वर्ष 2008–9 एवं 2011–12 के बीच
- टेबल 8 – दिनॉक 20/09/2013 तक मध्य प्रदेश में ासकीय शालाओं की जिलावार संख्या
- टेबल 9– दिनांक 21/09/2013 तक मध्य प्रदेश की शासकीय शालाओं में बच्चों के दाखिले का लक्ष्य एवं दाखिले की जिलावार स्थिति
- टेबल 10– दिनांक 21/09/2013 तक मध्य प्रदेश की शासकीय शालाओं में शिक्षा अधिकार कानून 2009 के मानकों के अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता एवं आवश्यकता की जिलावार स्थिति
- टेबल 11– दिनांक 21/09/2013 तक मध्य प्रदेश की शासकीय शालाओं में शिक्षा अधिकार कानून 2009 के मानकों के अनुसार कक्षों की उपलब्धता एवं आवश्यकता की जिलावार स्थिति
- टेबल 12 – दिनांक 21/09/2013 तक मध्य प्रदेश में कक्षा 6 की बालिकाओं को मुफ्त साइकिल प्रदाय के लिए मांग एवं वितरण की जिलावार स्थिति
- टेबल 13 – वर्ष 2010–11 एवं 2012–13 के बीच मध्य प्रदेश में लिंगानुपात की जिलावार तुलनात्मक स्थिति
- टेबल 14 – वर्ष 2008 एवं 2012के बीच मध्य प्रदेश में गुमशुदा बच्चों की जिलावार तुलनात्मक स्थिति

CH-100
15314
Community Health Library and Information Centre
CPHE - SOCHARA
Koramangala
Bangalore - 34

प्रस्तावना

2011 जनगणना के अनुसार म.प्र. में 0 से 6 साल के बच्चों की संख्या 10,548,295 है जो कि प्रदेश की कुल आबादी का 14.5 प्रतिशत है। अगर कोई भी राजनैतिक दल मध्यप्रदेश की करीब 14.5 प्रतिशत आबादी को केवल इसलिये नजर अंदाज करती है कि वे बच्चे हैं, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा लेकिन इतिहास बहुत ही अफसोसजनक रुप से इस बात की गवाही देता है कि हमारे राजनैतिक दलों द्वारा बच्चों की सबसे बुनियादी जरूरतों और अधिकारों (उनके विकास, संरक्षण, सहभागिता और स्वंतत्रता के अधिकार) को लगातार नजर अंदाज किया जाता रहा है।

बच्चों के अधिकारों से सम्बंधित अन्तर्राष्ट्रीय संधि से बंधे होने के साथ–साथ हम अपने देश के संविधान द्वारा बच्चों से किए गए उन वादों के लिए भी जवाबदेह हैं, जो उन्हें स्वस्थ और सम्मानपूर्ण हालात में विकास करने का सम्पूर्ण अवसर देने के लिए किए गए थे लेकिन आज स्थिति यह है कि बच्चों के हालात बद् से बद्तर होते जा रहे हैं। हम हर अन्तर्राष्ट्रीय संधि पत्र पर हस्ताक्षर तो कर देते हैं पर बदकिस्मती से जमीनी स्तर पर उसे लागू करने का प्रयास ही नहीं करते। बच्चों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए बजट में जो प्रावधान होने चाहिए वह भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

राजनैतिक दलों में ही नही नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार संस्थाओं और आम समाज में भी बच्चों के मुद्दों और समस्याओं को वयस्कों के चश्में से ही देखने का नजरिया हावी रहा है, बच्चों को अपने तरीके से विकसित होने के अवसर देने और उनके मुद्दों और समस्याओं को बाल केन्द्रित नजरिये से देखने की जरुरत है। तभी हम बच्चों को उनके अधिकारों को वास्तविक रुप से हस्तांतरित कर सकेगें।

म.प्र. में बच्चों की स्थिति गंभीर है, आज भी बड़े पैमाने पर बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। लड़कियों की स्थिति तो ओर भी चिंताजनक है। शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुए तीन साल बीत चुके हैं लेकिन प्रदेश अभी भी बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने में काफी पीछे है। म.प्र शिक्षकों की कमी के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। शिक्षा के अधिकार कानून के मानकों के आधार पर देखा जाये तो म.प्र. में 42.03 प्रतिशत शिक्षकों की कमी है। शिक्षा की गुणवत्ता में भी गिरावट आई है।

इसी तरह से प्रदेश में बच्चों में कुपोषण और बाल मृत्यु दर जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बना था, में भी ज्यादा सुधार देखने को नही मिलता है। 'डेमोग्राफिक इंडिकेटर (Demographic Indicators) मई 2013 के अनुसार 2011 में म.प्र. में शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) 59 तथा बाल मृत्यु दर 77 थी। इसी तरह से प्रदेश में कुल 80 प्रतिशत[1] शिशु रोग विशेषज्ञ के पद खाली हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन हैदराबाद (एनआईएन) की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 51.77 प्रतिशत बच्चे सामान्य से कम वजन के पाए गए हैं।

म.प्र में बच्चों की सुरक्षा की स्थिति भी बहुत चिंताजनक है, प्रदेश में जनवरी 2008 से मार्च 2013 के बीच कुल 29,828 नाबालिक लड़कियॉ गायब हुई हैं जिनमें 4,990 लडकियॉ अभी तक नही मिली है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो 2012 के अनुसार म.प्र. देश में बच्चों के विरुद्व दुष्कर्म के मामले में पहले स्थान पर है वही बच्चों के विरुद्व अपराध (13.5 प्रतिशत) के मामले में दूसरे स्थान पर है।

प्रदेश में बेटियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। पिछले 10 सालों में प्रति हजार लड़कों पर 14 बेटियां कम हो गई हैं। यानी शून्य से छह साल तक के 1000 लड़कों के मुकाबले सिर्फ 918 लड़कियां रह गई हैं। बेटी बचाओ अभियान, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जैसी योजनाओं के बाद भी मध्यप्रदेश देश का ऐसा राज्य है, जहां सर्वाधिक कन्या भ्रूण हत्या के मामले दर्ज किए गए।

---

[1] म.प्र.रूरल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट 31 मार्च 2012 एवं म.प्र. स्वास्थ्य पोर्टल के अनुसार

ऐसे में यह जरुरी हो गया है कि म.प्र. के इस चुनाव में प्रदेश के बच्चों की स्थिति राजनैतिक, सामाजिक ताकतों, मीडिया और आम मतदाताओं के बीच बहस का एक मुद्दा बने। प्रस्तुत श्वेत पत्र मध्यप्रदेश लोक संघर्ष साझा मंच और साथी संगठनों द्वारा इसी बहस को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। हमारा यह मानना है कि प्रदेश के बच्चों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यह जरुरी है कि उनके मुद्दों और समस्याओं को राजनैतिक विर्मश के केन्द्र में लाया जाये और इसके लिए चुनाव का समय बहुत मुफीद हो सकता है।

हम यह आशा करते हैं कि प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान सभी राजनैतिक पार्टियॉ बच्चों के वोटर ना होने के बावजूद उन्हें आने वाले कल के रुप में नहीं बल्कि आज के नागरिक के रुप में मान्यता देते हुए उनकी समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ अपने चुनावी वादों और कार्यक्रमों में शामिल करेंगे। इसके अलावा चुनाव के बाद बनने वाली सरकार में पक्ष या विपक्ष के रुप में कार्य करते हुए वे अपने वादो और अपने कार्यक्रमों को पूरी दृढ़ता और ईमानदारी के साथ लागू करने का संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

अंत में हम यह भी स्पष्ट कर देना जरूरी समझते है कि मध्यप्रदेश लोक संघर्ष साझा मंच किसी राजनैतिक दल के पक्ष में नहीं खड़ा हैं, हम केवल बच्चों के अधिकारों के प्रति अपने आपको प्रतिबद्व मानते हैं तथा प्रदेश में बच्चों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और नागरिक समाज के साथ मिल कर जनवकालत और संवाद की प्रक्रिया चला रहे हैं।

म.प्र. में बच्चों की स्थिति के प्रमुख सूचकांक

क्रम संख्या	सूचंकाक	मध्य प्रदेश में स्थिति	स्रोतः
1	जनसंख्या	मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या (7.25 करोड़) में 40 प्रतिशत (2.89 करोड़) आबादी बच्चों (0–18 वर्ष) की है।	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, 2012 / जनगणना–2011
2	लिंग अनुपात	0 से 6 वर्ष : 918 0 से 6 वर्ष : 932	जनगणना–2011 जनगणना–2001
3	कुपोषण	मध्यप्रदेश में 0 से 5 आयु वर्ग के लगभग 52 प्रतिशत बच्चे कुपोषित (सामान्य से कम वजन के) है।	राष्ट्रीय कुपोषण संस्थान हेदराबाद
4	शिशु मृत्यु दर	कुल 67	AHS 2011
5	मतृ मृत्यु दर	277	AHS 2011-12
6	खून की कमी	मध्यप्रदेश में 74.1 प्रतिशत बच्चों में खून की कमी के साथ भारत में दूसरे सीन पर है	Probing child health situation in MP, March-2012
7	शिक्षा विकास सूचकांक (प्राथमिक स्तर)	भारत के 35 राज्यों में 22 वां स्थान	Dise flash Statistics, 2011-12
8	शिक्षा विकास सूचकांक (माध्यमिक स्तर)	भारत के 35 राज्यों में 26 वां स्थान	Dise flash Statistics, 2011-12
9	बच्चों के विरूद्ध अपराध	भारत के बदतर राज्यों में दूसरा स्थान	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, 2012

2008 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पर्टियों द्वारा बच्चों के संदर्भ में किये गये वायदे

भाजपा के घोषणा पत्र में किये गये वायदे

अनुसूचित जाति एवं जनजाति

- प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत बालिकाओं को छात्रवृत्ति माध्यमिक स्तर पर कक्षा 6 से 8 तक छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक बालिकाओं को निःशुल्क गणवेश प्रदाय किया जायेगा।
- कक्षा पॉचवी उत्तीर्ण कर कक्षा छठवीं में प्रवेश लेने वाली बालिका को छात्रवृत्ति के अतिरिक्त 500/ की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
- बालिकाओं के कन्या आश्रमों/प्री मैट्रिक छात्रावासों का संचालन किया जायेगा।
- शाला त्याग दर में कमी लाने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन पुरस्कार की योजना शुरू की जायेगी।

अनुसूचित जाति

- अनुसूचित जाति वर्ग के 14 वर्ष तक के समस्त बालक–बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की सुदृढ़ व्यवस्था की जायेगी।
- अनुसूचित जाति वर्ग के 14 वर्ष तक के समस्त बालक–बालिकाओं को विद्यालयीन गणवेश निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।
- मध्यान्ह भोजन की योजना को सुचारू बनाया जायेगा।
- अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि में वृद्विकी जायेगी तथा उनके लिये शासन की ओर से देय फीस आदि सुविधाओं में वृद्विकी जायेगी।

महिला एवं बाल विकास

- लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश की कन्याओं को शिक्षा हेतु आर्थिक मदद और 18 वर्ष की उम्र होने पर 1.18 लाख रूपये नकद राशि दी जायेगी।
- कन्या भ्रूण हत्या की सूचना देने पर 10 हजार रूपये का पुरूस्कार दिया जायेगा।
- 6 से 8 कक्षा तक के उन छात्रों को निर्धन छात्रवृत्ति दी जावेगी, जिनके परिवार की सालाना आय 54 हजार से ज्यादा नहीं हैं।

बाल विकास

- पोषण आहार कार्यक्रम एवं योजनाओं को अधिक प्रभावी व व्यावहारिक बनाया जायेगा।
- बाल श्रमिकों की दूषित परंपरा को समाप्त करने के लिये कठोर कदम उठाये जायेंगे।
- कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु प्रभावी उपाय किये जायेंगे।
- बालकों एवं बालिकाओं के शारीरिक विकास के लिये योग एवं खेल संस्थानों को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- अपराध के लिये सजा पाने वाले बालकों को बाल सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत जेल में शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के अच्छे प्रबंध किये जायेंगे।
- बच्चों के सर्वांगींण विकास के लिये कला साहित्य का सहज ज्ञान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी।

- ☞ रचनात्मक बाल साहित्य के लिये विशेष पीठ की स्थापना की जायेगी।

कांग्रेस के घोषणा पत्र में किये गये वायदे

- ☞ बालिका समृद्धि की नई योजना लागू की जायेगी, योजना के तहत बालिका के वयस्क होने पर दो लाख रूपये से अधिक राशि दी जायेगी।
- ☞ इंदिरा जीवन बीमा योजना के तहत सभी खेतिहर मजदूर महिला स्व सहायता समूह को जीवन बीमा का लाभ दिया जायेगा। केन्द्रीय सहायता प्राप्त इस योजना से प्रत्येक हितग्राही को दुर्घटना या स्वभाविक मृत्यु पर 75000/पूर्ण विकलांगता पर 37,500 की राहत राशि उसके परिवार को प्राप्त होगी। आश्रित दो बच्चों को नौवीं से 12 वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 1200/ प्रतिमाह स्कालरशिप दी जायेगी।
- ☞ पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति राशि में समय–समय पर आवश्यकतानुसार बढ़ोत्तरी की जायेगी।
- ☞ किशोरी बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग के द्वारा योजना तैयार की जायेगी।
- ☞ शासकीय अस्पतालों में बालिकाओं को निःशुल्क दवा एवं उपचार उपलब्ध कराया जायेगा।
- ☞ किशोरी बालिकाओं या स्कूल से पढ़ाई छोड़ने वाली समस्त बालिकाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों से पूरक पोषण आहार दिया जायेगा तथा उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त उनको संतुलित भोजन एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के लिये भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- ☞ स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को शिक्षा देने के लिये प्रोत्साहन हेतु विशेष प्रावधान किया जायेगा।
- ☞ महिलाओं के समग्र विकास हेतु नई महिला नीति बनाई जावेगी।
- ☞ बालिका समृद्धि योजना के तहत 10 हजार रूपये प्रति बालिका के जन्म पर जमा कराकर बालिका के वयस्क होने पर उसे दो लाख से अधिक राशि प्राप्ति की योजना लागू की जायेगी, जिससे कन्या भ्रूण हत्या कुरीति से समाज को मुक्ति मिले।
- ☞ म.प्र. को कुपोषण मुक्त राज्य बनाने के लिये प्रभावशाली कदम उठाये जायेंगे।
- ☞ ऐसे परिवार जिसमें कोई पुरूष कमाने योग्य न हो तथा जिस घर में लड़कियों ने ही जन्म लिया हो या महिला परित्यक्ता, विधवा, निराश्रित हो उनको अनिवार्य रूप से रोजगार देने की व्यवस्था की जायेगी।
- ☞ सफाई कामगारों के बच्चों की शिक्षा के लिये हर स्तर पर प्रोत्साहन एवं सहायता दी जायेगी।
- ☞ स्वास्थ्य के क्षेत्र में बी.पी.एल. परिवार की महिलाओं एवं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये जीवन उपयोगी स्वास्थ्य सुविधायें निःशुल्क मुहैया कराने का लक्ष्य रखा जायेगा।
- ☞ सर्वशिक्षा अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जायेगा और बच्चों को न्यूनतम दूरी पर शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये नये हाईस्कूल और हायर सेंकेडरी स्कूल खोले जायेंगे।
- ☞ अशासकीय मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के शिक्षक–शिक्षिकाओं हेतु अनुदान पुनः प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- ☞ बी.पी.एल. कार्डधारी परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण उपलब्ध कराये जाने के लिये राज्य सरकार विशेष पहल करेगी।
- ☞ मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र और राहत केन्द्रों की विशेष सुविधा प्रदान की जायेगी।
- ☞ ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु सहकारी बैंक से 3 प्रतिशत ब्याज पर शिक्षा ऋण दिया जायेगा।

- किन्हीं कारणों से स्कूल शिक्षा छोड़ने वाले छात्रों को चिन्हित कर उन्हें विभिन्न प्रशिक्षण देकर 5 लाख से अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे।
- सभी प्रकार की राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं के केन्द्र मध्यप्रदेश में रखने के लिये विशेष पहल की जायेगी ताकि प्रतिभावान छात्रों को राज्य के बाहर परीक्षा देने नहीं जाना पड़े।
- प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा, बालक–बालिकाओं के लिये अनिवार्य कर आवश्यक संसाधन एवं विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जायेंगे।
- स्कूली बच्चों के शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के पूर्व पुस्तकें आदि की निश्चित उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
- सत्र प्रारंभ होने के पूर्व चिन्हित छात्राओं को साईकिल वितरण सुनिश्चत किया जायेगा।
- महा विद्यालयीन तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन एवं सहायता दी जायेगी।

बाल अधिकार

- बच्चों के शोषण और उनके विरूद्व हिंसा के अपराधों की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालतों में तेजी से की जायेगी।
- समान स्कूल व्यवस्था और पड़ोस का स्कूल व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य किया जायेगा।
- मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिये सामान्य शालाओं में समावेशी शिक्षा कार्यक्रम चलाये जायेंगे।
- मानसिक रूप से कमजोर बच्चों वाले गरीब परिवारों के लिये विशेष राशन का प्रावधान किया जायेगा।

कुपोषण से मुक्ति और पोषण का अधिकार–

- मध्यप्रदेश को कुपोषण मुक्त प्रदेश बनायेंगे।
- प्रदेश में पोषण के अधिकार को बच्चों का कानूनी अधिकार बनाया जायेगा।
- प्रदेश में बच्चों की कुपोषण से मुक्ति के लिये नीति बनेगी और उसके आधार पर एक समयबद्व कार्यक्रम शुरू किया जायेगा।
- एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम की लोकव्यापीकरण के लिये आंगनबाड़ी सुस्थापित की जायेगी।
- इन आंगनबाड़ियों में सामुदायिक पद्वति के आधार पर रूचिकर पोषण आहार सुनिश्चित किया जायेगा।
- गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे की जानकारी पारदर्शी ढंग से उपलब्ध कराई जायेगी।
- सभी आंगनबाड़ियों के अपने सुविधायुक्त भवन स्थापित किये जाने की पहल की जायेगी।
- कुपोषण दूर करने के लिये समुदाय आधारित पोषण आहार निर्माण और आपूर्ति की व्यवस्था की नीति होगी। मध्यप्रदेश में पोषण आहार का काम ठेकेदारों एवं निजी निर्माताओं पर निर्भर नहीं रहेगा।
- स्थानीय स्तर पर उपभोग किया जाने वाला पोषणाहार भी उपलब्ध कराया जायेगा।
- प्रति बच्चे पोषण आहार के खर्च में वृद्वि की जायेगी।
- ऐसे क्षेत्रों/जिलों और समुदायों की पहचान की जायेगी जहां कुपोषण का ज्यादा प्रभाव है। ऐसे क्षेत्रों/वर्गों के लिये विशेष कार्ययोजना बनाई जायेगी।
- प्रदेश के हर स्वास्थ्य केन्द्र में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- कुपोषण से प्रभावित बच्चों के परिवारों की पारिवारिक खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका की स्थिति को केन्द्र में रखकर विशेष कार्यक्रम चलाये जायेंगे ताकि कुपोषण को स्थाई रूप से मिटाया जा सके।
- हर बच्चे, हर महिला और हर किशोरी बालिका को आंगनबाड़ी के साथ जोड़ने के लिये सामाजिक अभियान चलाया जायेगा।

वर्तमान सरकार की बच्चों से संबंधित प्रमुख योजनाएं

गोदभराई योजना

गर्भवती महिला की पूरी देखभाल एवं सुरक्षित प्रसव के लिये आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीयन कराकर गोदभराई योजना का लाभ लिया जा सकता है। माह के प्रति मंगलवार आपके गांव–शहर की आंगनबाड़ी में गर्भवती महिला की गोदभराई होती है और उसे कई उपहार, मातृ शिशु रक्षा कार्ड, आयरन की गोलियां, पोषण स्वास्थ्य सलाह और गर्भवती महिला के लिये चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी मिलती हैं।

मातृ एवं शिशु रक्षा कार्ड

आंगनबाड़ी केन्द्र पर जाकर बच्चे का मातृ शिशु रक्षा कार्ड बनवाया जा सकता है । इससे मां और बच्चे को पूरे टीके लगेंगे। दोनों की नियमित स्वास्थ्य देखभाल और वजन होगा।

जननी सुरक्षा योजना

अस्पताल में सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के लिये यह योजना चलाई जा रही है। गरीबी रेखा के नीचे के परिवार की गर्भवती महिला यदि अस्पताल में प्रसव कराती है तो ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रूपये एवं शहरी क्षेत्र में 1000 रूपये नगद दिये जाते हैं। गर्भवती को अस्पताल लाने वाले प्रेरक को ग्रामीण क्षेत्र में 350 रूपये और शहरी क्षेत्र में 200 रूपये दिये जाते हैं।

उषा किरण योजना

घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत मध्यप्रदेश में पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु उषा किरण योजना लागू की गई है। योजना के तहत पीड़ित महिला को परामर्श सेवा और विधिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

जन्म दिवस योजना

आंगनबाड़ी केन्द्र में हर माह के तीसरे मंगलवार को बच्चों का जन्म दिवस मनाते हैं और उन्हें उपहार देते हैं।

लाड़ली लक्ष्मी योजना

लड़कियों की शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार कर उसके माध्यम से लड़कियों के भविष्य की मजबूत नींव रखने और समाज में लड़की के जन्म को लेकर एक सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य के साथ, वर्ष 2006 में इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना के तहत राज्य सरकार हर लड़की के जन्म के बाद, उसके नाम पर हर साल, 6 हजार रुपए मूल्य के राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदी करती हैं।

किशोरी बालिका दिवस योजना

किशोरियों की देखभाल, संतुलित आहार, स्वास्थ्य एवं आर्थिक गतिविधियों के प्रशिक्षण के लिये आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्रतिमाह चौथे मंगलवार को किशोरी बालिका दिवस मनाया जाता है।

प्राथमिक शाला में अध्ययनरत अनुसूचित जाति की बालिकाओं को गणवेश

अनुसूचित जाति की बालिकायें, जो कि कक्षा एक से पांच में पढ़ रही हैं, उन्हें निःशुल्क गणवेश प्रदान किये जाते हैं।

गांव की बेटी योजना

प्रतिभाशाली गांव की बेटी की उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। गांव के स्कूल से 12वीं कक्षा सर्वश्रेष्ठ अंकों से पास करने वाली एक बालिका को इस योजना का लाभ मिलेगा। पात्र बालिका को 500 रूपये माह यानि कुल 5000 रूपये प्रतिवर्ष की राशि उपलब्ध कराई जाती है।

गांव की बेटी योजना

प्रतिभाशाली गांव की बेटी की उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। गांव के स्कूल से 12वीं कक्षा सर्वश्रेष्ठ अंकों से पास करने वाली एक बालिका को इस योजना का लाभ मिलेगा। पात्र बालिका को 500 रूपये माह यानि कुल 5000 रूपये प्रतिवर्ष की राशि उपलब्ध कराई जाती है।

साइकिल प्रदाय योजना

हमारी बेटी का स्कूल गांव से भले ही दूर हो लेकिन वह आगे पढ़ सकती हैं। 9 वीं कक्षा में प्रवेश करने वाली अनुसूचित जाति/जनजाति की एवं गरीबी रेखा के नीचे के परिवार की बालिकाओं को सरकार मुफ्त साइकिल उपलब्ध कराती है।

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना

अनुसूचित जाति–जनजाति की ऐसी लड़कियां जो कक्षा 6, 9 एवं 11 में प्रवेश ले रही हैं उन्हें सरकार प्रोत्साहन के रूप में क्रमशः 500 रूपये, 1000 रूपये एवं 3000 रूपये प्रतिवर्ष उपलब्ध कराती है।

मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना

चिकित्सा खर्च उठाने में असमर्थ पालकों के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के उपचार की व्यवस्था करने की योजना, 14 जुलाई 2011 से आरंभ हुई। इस योजना के तहत प्रदेश में 15 वर्ष की उम्र तक के हृदय रोगी बच्चों की शल्य चिकित्सा के लिये आपरेशन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जायेगी।

बेटी बचाओ अभियान

लड़कियों के लिंग अनुपात में जारी गिरावट को रोकना और उससे जुडे सामाजिक असर और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना, इस अभियान के उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने कन्या भ्रूण हत्या की निन्दनीय प्रथा को समाप्त करने हेतु स्वयम् लोगों से मिलने और उन्हें प्रेरित करने के लिए कई स्थानों का दौरा किया। इस अभियान के तहत समाज में एक स्वस्थ लिंग संतुलन के लिए कन्या भ्रूण को बचाने के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए कई गतिविधियां चलाई गईं।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर यह योजना शुरू की गई है। गरीब, जरूरतमंद, बेसहारा परिवारों को उनकी बेटियों, विधवाओं, तलाकशुदाओं की शादी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत घर की चीजें और सामूहिक विवाह खर्च के लिए 15,000 रुपए की सहायता दी जाती है। लड़की के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की शर्त के साथ सामूहिक विवाह में यह सहायता दी जाती है।

स्वर्णिम म.प्र निर्माण में बच्चों से सबंधित लिए गये संकल्प

स्वर्णिम म.प्र निर्माण के लिए मई 2010 में मुख्यमंत्री द्धारा विधानसभा में 70 सूत्रीय संकल्प पारित किया गया। जिसमें बच्चों से संबंधित निम्न संकल्प शामिल थे।

- वर्ष 2013 तक शिशु मृत्युदर वर्तमान 72 से घटाकर 50 प्रति हजार एवं मातृ मृत्यु दर वर्तमान 335 से घटाकर 225 प्रति लाख करने का प्रयास किया जायेगा।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत राशि बढ़ाकर दस हजार रुपए की जायेगी।
- 50 से कम सीटों वाले आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों को 50 सीटर में परिवर्तित किया जाएगा।
- प्रत्येक आदिवासी विकासखंडों में अंग्रेजी माध्यम की आश्रम शालाएं संचालित की जाएंगी।
- प्रदेश में अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की स्थापना की जाएगी।

सरकार द्वारा किये गये दावे और जमीनी हकीकत

शिक्षा

वर्तमान सरकार द्वारा शिक्षा को लेकर किये जा रहे दावे

- वर्ष 2005–06 की अपेक्षा अब शिक्षा विभाग का बजट चार गुना से भी अधिक हो चुका है। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल इस विभाग का बजट जहां वर्ष 2005–06 में 481 करोड़ 73 लाख रुपये था, वहीं वह वर्ष 2010–11 में बढ़कर 1717 करोड़ 79 लाख रुपये हो गया है।

- 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के दाखिलों का लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2011 में, प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) के लिए सकल दाखिला अनुपात 98.88 प्रतिशत तथा उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) के लिए सकल दाखिला अनुपात 99.27 प्रतिशत रहा है। ड्रॉपआउट रेट में भी कमी आयी है और अब यह प्राथमिक स्तर पर 8.2 प्रतिशत तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 7.4 प्रतिशत हो गया है।

- बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए लाड़ली लक्ष्मी, गॉव की बेटी, निःशुल्क साइकिल, निःशुल्क गणवेश एवं पाठ्यपुस्तक जैसी योजनाओं को लागू किया गया है।

- प्रतिभाशाली बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए 'गांव की बेटी' और 'प्रतिभा किरण' योजना लागू की गई।

- नवाचारी पाठ्यक्रम – जिसके अर्न्तगत धार्मिक ग्रंथों के उपदेशों पर आधारित पाठ शामिल किये गए।

- योग शिक्षा को प्रोत्साहन–सभी विद्यालयों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य किया गया ।

- वर्ष 2003 के बाद से अब तक 40 हजार नये स्कूलों का निर्माण किया गया है।

- प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में बच्चों को दर्ज करने की दर 99 प्रतिशत तक पहुँच गई।

- शाला त्यागी बच्चों की संख्या 8 लाख से घट कर 57 हजार हो गई है।

- राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन विश्वविघालय (एन.यू.ई.पी.ए.) की ''स्टेट रिर्पोट कार्ड 2008–2009'' और प्रोविजनल रिर्पोट 2011–2012 को तुलनात्मक रुप से देखा जाये तो वर्ष 2008–09 में म.प्र. के 17.4 प्रतिशत प्राथमिक शालाओं तथा 11.5 प्रतिशत माध्यमिक शाला में केवल एक शिक्षक थे। वही एन.यू.ई.पी.ए. की 2011–2012 की प्रोविजनल रिर्पोट देखें तो स्थिति में ज्यादा परिवर्तन देखने को नही मिलता है। 2011–12 में 16.7 प्रतिशत प्राथमिक शालाएं तथा 16.8 प्रतिशत माध्यमिक शालाएं एक शिक्षक के भरोसे चल रही है। यानी माध्यमिक शालाओं में स्थिति ओर भी बदतर हुई है।

- प्रशिक्षित शिक्षकों की स्थिति को तुलनात्मक रुप से देखा जाये तो वर्ष 2008–2009 में 87.3 नियमित शिक्षक और 48.5 प्रतिशत पैरा–शिक्षक प्रशिक्षित थे जबकि 2011–2012 में 85.2 नियमित शिक्षक और 33.8 प्रतिशत संविदा शिक्षक प्रशिक्षित है। यानी म.प्र. में 2008 से 12 के बीच प्रशिक्षित शिक्षकों के अनुपात में भारी कमी देखने को मिल रही है।

- छात्रः शिक्षक अनुपात को देखा जाये तो वर्ष 2008–09 में म.प्र. के प्राथमिक शालाओं में यह अनुपात 39 और माध्यमिक शालाओं में 33 था। वही 2011–12 में यह अनुपात प्राथमिक शालाओं में 34 और माध्यमिक शालाओं में 43 है। यानी माध्यमिक शालाओं में स्थिति सुधरने के बजाये बिगड़ी है।

म.प्र में विभिन्न अध्ययनों के आधार पर शिक्षा की जमीनी स्थिति

राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (एन.यू.ई.पी.ए.) की ''स्टेट रिर्पोट कार्ड 2008-2009'' और एन.यू.ई.पी.ए. की प्रोविजनल रिर्पोट 2011-2012 के आधार पर तुलनात्मक स्थिति

एन.यू.ई.पी.ए. की रिपोर्ट के अनुसार	2008–2009	2011–2012	अंतर
एक शिक्षक प्राथमिक शाला (प्रतिशत में)	17.4	16.7	0.7
एक शिक्षक माध्यमिक शाला (प्रतिशत में)	11.5	16.8	5.3
प्रशिक्षित नियमित शिक्षक (प्रतिशत में)	87.3	85.2	–2.1
प्रशिक्षित पैरा शिक्षक (प्रतिशत में)	48.5	33.8	–14.7
छात्र शिक्षक अनुपात प्राथमिक शाला (संख्या)	**39**	**34**	–5
छात्र शिक्षक अनुपात माध्यमिक शाला (संख्या)	**33**	**43**	10
शालाओं में दर्ज बच्चे प्राथमिक शाला (संख्या)	11288846	10396617	–892229
शालाओं में दर्ज बच्चे माध्यमिक शाला (संख्या)	4281847	4921211	639364
बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर (प्रतिशत में)	6.5	8.3	1.8

- इसी प्रकार म.प्र के शालाओं में सम्पूर्ण दाखिले की स्थिति और बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर देखी जाये तो वर्ष 2008–2009 में प्राथमिक शालाओं में कुल 11,288,846 बच्चों ने दाखिला लिया था और बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर 6.5 प्रतिशत थी। जबकि माध्यमिक शालाओं में कुल 4,281,847 बच्चों ने दाखिला लिया था। वही वर्ष 2011–12 में प्राथमिक शालाओं में कुल 10,396,617 बच्चों ने दाखिला लिया है और बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर 8.3 प्रतिशत है। जबकि माध्यमिक शालाओं में कुल 4,921,211 बच्चों ने दाखिला लिया है। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि म.प्र में 2008 से 12 के बीच प्राथमिक शालाओं में दाखिला लेने वाले कुल बच्चों में कमी आयी है साथ ही साथ इस दौरान प्राथमिक शालाओं में बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में भी लगभग 2 प्रतिशत की वृद्वि हुई है।

- अगर हम प्रवेश के आकंड़ों को तुलनात्मक रुप से समुदाय के आधार पर देखें तो इस दौरान स्थिति में कोई सुधार नही है बल्कि कई मामलों में तो स्थिति और बदतर दिखती है।

- म.प्र में 2008–09 में प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों में प्रवेश दर 17.3, आदिवासी बच्चों में 25.5, पिछड़ा वर्ग में 49.4 तथा मुस्लिम बच्चों में 3.2 प्रतिशत था। जबकि वर्ष 2011–12 में प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों में प्रवेश दर 16.8, आदिवासी बच्चों में 26.3, पिछड़ा वर्ग 41.8 में तथा मुस्लिम बच्चों में 5 प्रतिशत है। यानी मप्र. में 2008 से 12 के बीच प्राथमिक स्तर पर और अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के प्रवेश दर में गिरावट आयी है।

- इसी तरह से माध्यमिक स्तर पर देखें तो म.प्र में 2008–09 में अनुसूचित जाति के बच्चों में प्रवेश दर 17.6, आदिवासी बच्चों में 18.7,पिछड़ा वर्ग में 45.6 तथा मुस्लिम बच्चों में 3.1 प्रतिशत था। जबकि वर्ष 2011–12 में माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों में प्रवेश दर 18, आदिवासी बच्चों में 21, पिछड़ा वर्ग 44.7 में तथा मुस्लिम बच्चों में 4.2 प्रतिशत है। यानी म.प्र में 2008 से 12 के बीच माध्यमिक स्तर पिछड़ा वर्ग के प्रवेश दर में गिरावट आयी है। जबकि अन्य समुदायों में बच्चों के दाखिले की दर में मामूली वृद्वि दर्ज की गई है।

- इसी तरह से अगर शालाओं में लड़कियों की दाखिले की स्थिति देखी जाये तो वर्ष 2008–2009 में प्राथमिक शालाओं में यह दर 50.7 प्रतिशत और माध्यमिक शालाओं में 49.6 प्रतिशत था। वही 2011–12 में यह दर प्राथमिक शालाओं में 50.5 प्रतिशत और माध्यमिक शालाओं में 53.3 प्रतिशत है। यानी स्पष्ट है कि प्राथमिक शालाओं में लड़कियों के दाखिले की दर 2008 से 2012 के बीच बढ़ने के बजाये घटी है।

राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय(एन.यू.ई.पी.ए.) रिपोर्ट 2008-2009 और 2011-12 के आधार पर तुलनात्मक स्थिति

एन.यू.ई.पी.ए. की रिपोर्ट के अनुसार	2008–2009	2011–12	अंतर
प्रवेश के आंकड़े प्राथमिक स्तर			
अनुसूचित जाति	17.3 प्रतिशत	16.8 प्रतिशत	-0.5
अनुसूचित जनजाति	25.5	26.3	0.8
अन्य पिछड़ा वर्ग	49.4	41.8	-7.6
मुस्लिम	3.2	5	1.8
प्रवेश के आंकड़े माध्यमिक स्तर			
अनुसूचित जाति	17.6	18	0.4
अनुसूचित जनजाति	18.7	21	2.3
अन्य पिछड़ा वर्ग	45.6	44.7	-0.9
मुस्लिम	3.1	4.2	1.1
लड़कियों की दाखिले की स्थिति			
प्राथमिक स्तर	50.7	50.5	-0.2
माध्यमिक स्तर	49.6	53.3	3.7

असर की शिक्षा रिर्पोट 2008 और 2012 के आधार पर तुलनात्मक स्थिति

सूचकांक	2008	2012	अंतर
6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे सरकारी स्कूलों में	81.1 प्रतिशत	77.8 प्रतिशत	–3.3
बच्चे जो स्कूल नही जाते	1.9	3.1	1.2
11 से 14 आयु वर्ग की स्कूल ना जाने वाली लड़कियां	3.5 प्रतिशत	5.2 प्रतिशत	1.7
कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे कुछ भी नही पढ़ पा रहे	1 प्रतिशत	13 प्रतिशत	12

- असर की शिक्षा रिर्पोट 2008 के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के 81.1 प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे जबकि 1.9 प्रतिशत बच्चे ऐसे थे जो स्कूल नही जाते थे। अगर असर की शिक्षा रिर्पोट 2012 देखें तो यह निकल कर आता है कि 6 से 14 आयु वर्ग के 77.8 प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वही 3.1 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नही जाते हैं। यानी इस दौरान सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की दर में कमी और स्कूल ना जाने वाले बच्चों की दर में बढ़ोत्तरी हुई है।
- इसी तरह से 11 से 14 आयु समूह की स्कूल ना जाने वाली लड़कियों को देखें तो उनकी संख्या 2008 के मुकाबले 2012 में बढ़ी है। जहॉ यह दर 2008 में 3.5 प्रतिशत थी वही 2012 में बढ़ कर 5.2 प्रतिशत हो गई है।
- इसी तरह से बच्चों के पढ़ने के स्तर को देखें तो जहॉ 2008 में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों में केवल 1 प्रतिशत बच्चे कुछ

भी नही पढ़ पा रहे थे वही 2012 में यह दर बढ़ कर 13 प्रतिशत हो गयी है।

- असर रिर्पोट के अनुसार म.प्र. में शिक्षा के अधिकार के मानकों के अनुसार 2010 से 12 के बीच तुलनात्मक स्थिति निम्न लिखित है–

स्थिति	2010 (प्रतिशत में)	2012 (प्रतिशत में)	
कक्षाः शिक्षक अनुपात	81.4	68.9	-12.5
खेल का मैदान	61.1	56.6	-4.5
पेयजल उपलब्ध	78.5	70.5	–8
शौचालय प्रयोग करने योग्य	50.3	46.7	–3.6
शौचालय उपयोग करने योग्य नही	29.8	42.1	12.3

शिक्षा की वर्तमान स्थिति

- म.प्र शिक्षकों की कमी के मामले में देश में अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है। शिक्षा के अधिकार कानून के मानकों के आधार पर देखा जाये तो म.प्र. में 42.03 प्रतिशत शिक्षकों की कमी है। (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2 अप्रैल 2013 के अनुसार)
- म.प्र. शासन द्वारा योजना आयोग को सौपे गये वार्षिक योजना 2013–14 के अनुसार प्रदेश के वंचित समुदायों की प्राथमिक शिक्षा में भागीदारी को देखें तो 2008–09 में जहॉ अनु.जाति के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा तक पहुॅच की दर 17.26 प्रतिशत थी वही यह दर 2011–12 में घट कर 16.82 प्रतिशत हो गयी। उसी प्रकार अगर यही स्थिति अनु.जनजाति में देखा जाये तो 2008–09 में इस समुदाय के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा तक पहुॅच की दर 25.53 प्रतिशत थी जो कि 2011–12 में बहुत ही कम वृद्विके साथ 26.32 प्रतिशत हो गयी है।
- म.प्र उन बद्तर राज्यों में चौथे नम्बर है जहॉ कक्षा 3 से 5 तक के केवल 23.1 प्रतिशत बच्चे ही गणित में घटाव कर सकते हैं जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 40.7 प्रतिशत है। (असर रिर्पोट 2012)
- म.प्र उन पांच बद्तर राज्यों में शामिल है जहॉ कक्षा 3 से 5 तक के केवल 39.3 प्रतिशत बच्चे ही कक्षा 1 की किताब पढ़ सकते हैं। म.प्र में 8 कक्षा के केवल 24 प्रतिशत विधार्थी ऐसे है जो अंग्रेजी में वाक्य पढ़ सकते हैं। (असर रिर्पोट 2012)
- 2008 में वर्तमान शासित पार्टी द्वारा वादा किया गया था कि प्रदेश में शिक्षा आयोग का गठन किया जायेगा। इस दिशा में कोई काम नही हुआ है।
- भारत सरकार के मानव विकास मंत्रालय के अनुसार मध्यप्रदेश में 52 प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षित नही है। जो कि देश में सबसे ज्यादा है।
- भारत सरकार के मानव विकास मंत्रालय के अनुसार 19095 स्कूल सिंगल टीचर के भरोसे चल रहे हैं। इस मामले में भी प्रदेश पहले पायदान पर है।

मध्यप्रदेश लोक संघर्ष साझा मंच द्वारा, फरवरी 2013 में मध्य प्रदेश के 10 जिलों के 159 शालाओं में शौचालय की उपलब्धता और उपयोगिता की पड़ताल रिपोर्ट के अनुसार स्थिति

- सर्वेक्षित कुल 159 शालाओं में से 140 शालाओं में शौचालय हैं। इन 140 शालाओं में से केवल 21 शालाओं (15 प्रतिशत) में साफ सुथरे शौचालय हैं। शेष 119 शालओं में शौचालय के लिए साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब है कि 85 प्रतिशत शालाओं में शौचालय की साफ सफाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
- इन 140 शालाओं मे से कुल 68 शालाओं (49 प्रतिशत) में बच्चों द्वारा शौचालय का उपयोग किया जाता है। यानी 72 शालाओं में शौचालय का उपयोग नहीं किया जाता है इसका मतलब है कि अधिकांश शौचालय इतने गंदे, क्षतिग्रस्त या टूटे फूटे हैं कि उनका उपयोग करना संभव नहीं है।

मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य

वर्तमान सरकार द्वारा मातृत्व और बाल स्वास्थ्य को लेकर किये जा रहे दावे

- म.प्र में शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए 44 जिलों के जिला अस्पताल में नवजात गहन चिकित्सा इकाईयों की शुरुवात की गई है। शेष जिलों में शीघ्र ही इन इकाईयों के स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।
- जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत् प्रसव को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क परिवहन की सुविधा दी जा रही है। इस योजना से लगभग 60 लाख से ज्यादा महिलाऐं लाभान्वित हुई हैं।
- स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन।
- मानव संसाधनों के रिक्त पदों की पूर्ति।
- संस्थागत् प्रसव 25 प्रतिशत से बढ़ कर 84 प्रतिशत हो गई है।
- म.प्र. में वर्तमान में मातृ मृत्यु दर 269 प्रति लाख है।
- शिशु मृत्यु दर वर्ष 2004 के 86 प्रति हजार से घट कर 59 प्रति हजार हो गई है।

म.प्र. में वर्ष 2008 में मातृत्व और बाल स्वास्थ्य की स्थिति

- भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2007–08 के दौरान शिशु मृत्यु दर में मध्यप्रदेश पहले स्थान पर था, प्रतिदिन प्रदेश मे 371 शिशु एवं 35 महिलायें प्रसव दौरान या प्रसव मे आई जटिलता के कारण मौत का शिकार हो जाती थीं। डेमोग्राफिक इंडिकेटर मई 2013 के अनुसार 2011 में म.प्र. में शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) 59 तथा बाल मृत्यु दर 77 है।
- म.प्र. मानव विकास रिपोर्ट 2007 के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की रीढ़ माने जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या आवश्यकता से 26 फीसदी कम थी।
- डी.एल.एच.एस.–3 (2007–2008) के अनुसार म.प्र. में संस्थाग्त प्रसव 47.1 प्रतिशत था वही 52.1 प्रतिशत प्रसव घर में होते थे। इसी तरह से 12 से 23 माह के बच्चों में सम्पूर्ण टीकाकरण दर 36.2 प्रतिशत था।
- सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन अक्टूबर 2009 के अनुसार म.प्र. में शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) 2008 में 70 था जो कि देश में सभी राज्यों से सबसे ज्यादा था।

म.प्र में मातृत्व और बाल स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति

मध्यप्रदेश में मातृत्व और बाल स्वास्थ्य की स्थिति: एक नजर में

क्र.	स्वास्थ्य सूचक	मध्यप्रदेश		भारत
		एनएफएचएस 3	वर्तमान स्थिति एएचएस 2011– 12 के अनुसार	
1	मातृ मृत्यु (अनुपात)	335	310 एएचएस 2011	212
2	गर्भवती एवं धाती महिलाओं में एनीमिया (%)	56	59.6 ICDS Impact study PMPSUSPC 2009	59
3	शिशु मृत्यु दर	72	67 एएचएस 2011	42[2]
4	बाल मृत्यु दर	75	89 एएचएस 2011	62
5	कुपोषित बच्चों का प्रतिशत	62	60	

- एस.आर.एस. बुलेटीन सितंबर 2013 के अनुसार प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 56 है। जो कि देश में सबसे ज्यादा है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 60 तथा शहरी क्षेत्र में 37 है। इसी तरह से प्रदेश के लड़कों में यह दर 54 तथा लड़कियों में 59 है।

- प्रदेश में हर रोज 58 से ज्यादा बच्चों की मौत हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा विधानसभा में बताया गया कि जनवरी 2012 से दिसंबर 2012 की अवधि में छह साल से कम उम्र के 20 हजार 86 और छह से बारह साल तक की उम्र के 1318 बच्चों की मौत हुई है। ये मौतें निमोनिया, दस्तरोग, बुखार, खसरा जैसे रोगों व अन्य कारणों से हुई हैं।

- एएचएस फर्स्ट अपडेशन बुलेटीन 2011–12 के अनुसार मध्यप्रदेश में मातृ मृत्यु (अनुपात) 277 है। मध्यप्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्ष 2010 तक मातृ मृत्यु को 220 तक लाने का लक्ष्य रखा था लेकिन वर्ष 2013 में भी हम इस लक्ष्य के आसपास भी नही पहुॅच सके हैं।

- डेमोग्राफिक इंडिकेटर मई 2013 के अनुसार 2011 में म.प्र. में शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) 59 तथा बाल मृत्यु दर 77 थी।

- म.प्र. में 5 साल से कम उम्र बाल मृत्यु दर 86 है। (स्रोत– एएचएस फर्स्ट अपडेशन बुलेटीन 2011–12)

- म.प्र. में शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) 65 है, (स्रोत– एएचएस फर्स्ट अपडेशन बुलेटीन 2011–12)

- प्रदेश के आदिवासियों में जन्म लेने वाले प्रति हजार जीवित शिशुओं में से 56.5 शिशु अपने शुरुआती 28 दिनों में ही प्राण त्याग देते हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति के प्रति हजार जीवित नवजात शिशुओं में से 50.2 शिशु अपने जीवन का एक माह भी पूरा नहीं कर पाते हैं।(एनएफएचएस–3)

- एनएफएचएस–3 की मध्यप्रदेश केंद्रित रिपोर्ट के मुताबिक मध्यप्रदेश में प्रति हजार जीवित जन्म लेने वाले 94.2 बच्चे पांच वर्ष के भीतर दम तोड़ देते है। वही अनुसूचित जाति में पांच वर्ष के भीतर दम तोड़ने वाले बच्चों की संख्या 110 प्रति हजार तथा अनुसूचित जनजाति में 140 प्रति हजार है।

- डीएलएचएस–3 की रिपोर्ट के मुताबिक मध्यप्रदेश में कुल 32.6 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महज 31.4 प्रतिशत बच्चे ही टीकाकरण का लाभ उठा पाए हैं। यह सरकार के उस दावे के एकदम उलट है जिसमें कहा गया है कि 2007–08 में 62.5 प्रतिशत तथा 2008–09 में 63.6 प्रतिशत बच्चे बाल टीकाकरण योजना के तहत पूरी तरह रोग प्रतिरोधी टीकाकरण का लाभ उठा चुके हैं।

[2] SRS Volume.48 no.2, September 2013

2007-2008 और 2012 के आधार पर तुलनात्मक स्थिति

सूचकांक	2007–2008			2012
शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.)	सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटीन अक्टूबर 2009 के अनुसार 2008 में	70	एस.आर.एस. बुलेटीन सितंबर 2013 के अनुसार	56
5 साल से कम उम्र के बाल मृत्यु दर			एएचएस फर्स्ट अपडेशन बुलेटीन 2011–12	86
मातृ मृत्यु	एनएफएचएस 3	337	एएचएस फर्स्ट अपडेशन बुलेटीन 2011–12	277

- मध्यप्रदेश में एनिमिया से प्रभावित बच्चों का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। म.प्र में 74 प्रतिशत बच्चे एनिमिया के शिकार है। जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 69.5 प्रतिशत है। अगर म.प्र. में एनिमिया की स्थिति को समुदाय के आधार पर देखा जाये तो मुस्लिम समुदाय में 45 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति में 53.2 प्रतिशत है जो कि सामान्य वर्ग (43.2) एवं अनुसूचित जाति(42.4) वर्ग की तुलना में काफी अधिक है। (स्रोत– एन.एफ.एच.एस. 3)

- म.प्र. में आदिवासी समुदाय के 68.5 प्रतिशत और अनुसूचित जाति समुदाय के 58.3 प्रतिशत महिलाएं एनिमिया की शिकार हैं। (स्रोत– एन.एफ.एच.एस. 3)

- यूनिसेफ की मदद से राज्य के स्वास्थ विभाग द्वारा किये अध्ययन के अनुसार भारत में होने वाले कुल प्रसूति मौतों में 10 भागीदारी म.प्र की है। प्रदेश में आज भी केवल 8 प्रतिशत आदिवासी महिलाएं ही विभिन्न सुविधा से युक्त स्वास्थ केन्द्रों में जन्म दे पाती हैं। (राज एक्सप्रेस 12 जून 2013)

- म.प्र. आई.सी.डी.एस. संचानालय की वार्षिक प्रोजेक्ट इम्पलीमैंटेशन प्लान 2012–13 (APIP) के अनुसार 31 मार्च 2012 के स्थिति के अनुसार प्रदेश में सी.डी.पी.ओ के 30 प्रतिशत, ए.सी.डी.पी.ओ के 39 प्रतिशत, सूपरवाईजर के 11 प्रतिशत, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 2.34 प्रतिशत तथा आंगनबाड़ी सहायिका के 4.48 प्रतिशत पद रिक्त हैं।

- आर.एच.एस.बुलेटीन (रुरल हैल्थ स्टेटिस्टिक्स) मार्च 2008 के अनुसार म.प्र. में उपस्वास्थ केन्द्र 8834, प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र 1149, सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र 270 थे वही आर.एच.एस. 2012 के अनुसार 2012 में म.प्र में उपस्वास्थ केन्द्र 8869, प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र 1159, सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र 333 थे अर्थात 5 सालों में म.प्र में केवल 35 उपस्वास्थ केन्द्र, 10 प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र तथा 63 नये सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र खुले हैं ।

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। 333 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल 73 स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं इसका मतलब है कि प्रदेश में 260 यानी 78 प्रतिशत स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ की कमी है।

- इसी तरह से प्रदेश में कुल 67 शिशु रोग विशेषज्ञ ही कार्यरत हैं जबकि 266 यानि 80 प्रतिशत शिशु रोग विशेषज्ञ के पद खाली हैं। इन केन्द्रों में कुल 1332 स्वीकृत विशेषज्ञों के स्थान पर कुल 227 विशेषज्ञ ही कार्यरत है जबकि 1105 यानि 83 प्रतिशत की कमी है।

आर.एच.एस.2008 और आर.एच.एस. 2012 के आधार पर तुलनात्मक स्थिति

	सूचकांक	आर.एच.एस. 2008	आर.एच.एस. 2012	5 साल में वृद्धि
आर.एच.एस.बुलेटिन (रुरल हैल्थ स्टेटिस्टिक्स)	उपस्वास्थ केन्द्र	8834	8869	35
	प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र	1149	1159	10
	सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र	270	333	63

म.प्र.रूरल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट 31 मार्च 2012 एवं म.प्र. स्वास्थ्य पोर्टल की स्थिति अनुसार मध्यप्रदेश में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की स्थिति

चिकित्सा संस्था	चिकित्सक/विशेषज्ञ			स्त्री रोग विशेषज्ञ			बाल रोग विशेषज्ञ			नर्स/एएनएम/एमपीडब्ल्यू		
	स्वीकृत	पदस्थ	कमी	स्वीकृत	पदस्थ	कमी	स्वीकृत	पदस्थ	कमी	स्वीकृत	पदस्थ	कमी
जिला अस्पताल	162	89	73	165	74	91	247	126	121	3981	1573	2408
सिविल	47	14	33	9	0	9	40	14	26	597	291	306
सीएचसी	909	678	231	240	73	167	160	67	93	3133	2193	940
पीएचसी	1238	814	424	0	0	0	0	0	0	1871	1511	360
उपस्वास्थ्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1239	1178	613
कुल	2356	1593	763	423	191	231	447	207	240	2197	1735	4627

- मध्यप्रदेश में जिला एवं ग्रामीण इलाकों में 32980 जनसंख्या पर 1 चिकित्सक, 183165 की जनसंख्या पर 1 स्त्री रोग विशेषज्ञ, 253806 जनसंख्या पर एक 1 बाल रोग विशेषज्ञ हैं।
- मध्यप्रदेश में कुल 52393 आशा कार्यकर्ता काम कर रही हैं जबकि 56941 आशा की जरूरत है।

विकास संवाद की रिर्पोट 'किनके हाथ है मध्यप्रदेश में महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य' के अनुसार म.प्र. में मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति –

- मध्यप्रदेश की शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में स्त्रीरोग विशेषज्ञों के कुल जमा 636 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 345 पद (यानी 54.2 प्रतिशत) खाली पड़े हुये हैं।
- मध्यप्रदेश में 1.05 करोड़ बच्चों की उम्र 6 वर्ष से कम है परन्तु यहां शिशुरोग विशेषज्ञों के केवल 573 पद ही स्वीकृत हैं। इनमें से भी 250 पद वर्षों से खाली पड़े हुये हैं। इसका मतलब है कि 32609 बच्चों की संख्या पर महज एक डाक्टर उपलब्ध है।
- जिला अस्पतालों में शिशुरोग विशेषज्ञ के 48.3 प्रतिशत और सिविल अस्पतालों में 59.1 प्रतिशत पद खाली हैं।

मध्यप्रदेश लोक संघर्ष साझा मंच द्वारा 'मध्यप्रदेश के 9 जिलो में मां और बच्चों के लिये उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की पड़ताल 2012' के अनुसार स्थिति

- एएनएम की सेवायें गांवों में एक माह या उससे अधिक समय के अंतराल पर ही मिल पा रही है जबकि यह कम से कम 15 दिन के अंतराल पर मिलनी चाहिए। एएनएम द्वारा गर्भावस्था देखभाल एवं टीकाकरण पर ही जोर दिया जा रहा है। 75 प्रतिशत लोगों ने बताया कि एएनएम केवल टीकाकरण करती है। एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में एएनएम की भूमिका नहीं बन पा रही है।

- अध्ययनित जिलों में प्राप्त जानकारी के अनुसार लोगों को ग्राम स्वास्थ्य समिति के बारे में जानकारी नहीं है। इस समिति के काम, उनके सदस्यों के बारे में लोगों को पता ही नहीं है।

कुपोषण

वर्तमान सरकार द्वारा कुपोषण को लेकर किये जा रहे दावे

- कुपोषण की रोकथाम के लिए पोषण पुनर्वास केन्द्रों व नवजात देखभाल इकाइयों की स्थापना की गई है। वर्तमान में 376 पोषण पुर्नवास केन्द्र कार्यरत् हैं।
- बच्चों में कुपोषण की रोकथाम के लिए अटल बाल स्वास्थ एवं पोषण मिशन की शुरुवात की गई है।
- आंगनबाड़ियों की संख्या वर्ष 2003 (47,433) की तुलना में वर्तमान में 92,230 हो गई है।

म.प्र में वर्ष 2008 में कुपोषण की स्थिति

- कुपोषण की जानकारी का सबसे प्रमुख स्त्रोत 'राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण' है, जो 1992–93, 1998–99 और 2005–06 में हुआ था। पहले सर्वेक्षण में बाल कुपोषण की दृष्टि से सबसे खराब प्रांतों में मध्यप्रदेश सातवें नंबर पर था। दूसरे सर्वेक्षण में पहले नंबर पर पहुंच गया। छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद म.प्र. की स्थिति और खराब हुई है तथा प्रदेश अब बाल कुपोषण में पहले स्थान पर है। वर्ष 1992–93 में मध्यप्रदेश में 3 वर्ष से छोटे 48.5 फीसदी बच्चे कुपोषित थे। इनकी संख्या कम होने के बजाय 1998–99 में बढ़कर 55.1 फीसदी हो गई। सात वर्ष बाद यह दर और बढ़कर 60.3 फीसदी हो गई।
- फरवरी 2010 में मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ मंत्री ने प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में स्वीकार किया था कि राज्य में 60 फीसदी बच्चे कुपोषण से ग्रस्त है। उन्होनें स्वीकार किया था कि राज्य में 5 वर्ष तक के आयु वर्ग के प्रति एक हजार में से करीब 70 बच्चे कुपोषण की वजह से मौत का शिकार हो जाते है।
- वर्ष 2008–09 में राज्य में कुपोषण के कारण 29 हजार 274 बच्चों की मौत होने की पुष्टि लोक स्वास्थ्य मंत्री अनूप मिश्रा द्वारा विधानसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में की गई थी।

वर्तमान स्थिति

- म.प्र में पिछले एक साल के दौरान 21409 बच्चों की मौत कुपोषण, निमोनिया, खसरा के कारण हुई है। इस हिसाब से पिछले एक साल में प्रदेश में औसतन 59 बच्चे मौत का शिकार हुए हैं। (स्वास्थ मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा 20 फरवरी 2013 को विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार)
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन हैदराबाद (एनआईएन) 2011 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 51.77 प्रतिशत बच्चे सामान्य से कम वजन के पाए गए हैं। वहीं प्रदेश की राजधानी भोपाल के 55.80 प्रतिशत बच्चे सामान्य से कम वजन वाले और 21 प्रतिशत बच्चे अत्यंत कम वजन के हैं।
- नेशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे –3 की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 0 से 5 वर्ष की उम्र के 60 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं व इसी उम्र के 82.6 प्रतिशत बच्चे ऐनीमिक हैं, राज्य में बाल मृत्यु की दर 70 / 1000 है जबकि आदिवासी इलाकों में यह दर 95.6 / 1000 है।
- म.प्र. में आदिवासी समुदाय में शिशु व बाल मृत्यु दर के बेहद ज्यादा होने के बावजूद इसे रोकने के लिए विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अभी भी आदिवासी समुदाय में 0–71 माह के महज 51.9 प्रतिशत बच्चे ही ऐसे हैं जिन्हें

केंद्रों की सुविधाऐं मिल पा रही हो।

- म.प्र. आई.सी.डी.एस. संचनालय की वार्षिक प्रोजेक्ट इम्पलीमेन्टेशन प्लान 2012–13 (APIP) के अनुसार म.प्र. में वर्ष 2008–09 में कुल 78,929 आंगनबाड़ी केन्द्र थे जबकि वर्ष 2012–13 में कुल 81391 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। म.प्र. में वर्ष 2009 से 11 के दौरान कोई भी नया आई.सी. डी.एस. प्रोजेक्ट या आंगनबाड़ी केन्द्र नही खोला गया था।

भोजन के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर की रिर्पोट के अनुसार म.प्र. में 1 लाख 38 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों की जरुरत है। लेकिन राज्य में इनकी संख्या केवल 78,929 (53 फीसदी) है। जो कि राज्य के मात्र 76 फीसदी बच्चों को ही अपनी सेवाएं दे पा रही हैं, जबकि एक चौथाई बच्चे अभी भी बाल कल्याण सेवाओं से पूरी तरह से वंचित हैं।

बाल सुरक्षा

वर्तमान सरकार द्धारा बाल सुरक्षा को लेकर किये जा रहे दावे

- लिंगानुपात के अंतर को कम करने एवं बालिका सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2007 में लाड़ली लक्ष्मी योजना शुरु की गई है।
- मध्यप्रदेश में बेटियों के पक्ष को और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई है। इस योजना में अब तक सवा दो लाख से ज्यादा परिवारों को अपनी बेटी के विवाह में राज्य सरकार ने मदद की है।
- प्रदेश में शिशु लिंगानुपात को बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा साल 2011 से प्रदेश व्यापी 'बेटी बचाओ अभियान' शुरू किया गया है।
- म.प्र सरकार द्वारा वादा किया गया था कि ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना (2007 से 2012) के दौरान शिशु लिंगानुपात 932 से बढ़ा कर 950 तक ले आया जायेगा लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में बेटियों की संख्या घट कर 918 पर आ गई है।

वर्तमान स्थिति

लिंगानुपात / कन्या भ्रूण हत्या के मामले में

- मध्यप्रदेश के जनगणना कार्य निदेशालय द्वारा जनसंख्या 2011 के जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 2001 से 2011 के दौरान शिशु लिंगानुपात में 14 अंकों की गिरावट आई है। यानी शून्य से छह साल तक के 1000 लड़कों के मुकाबले सिर्फ 918 लड़कियां रह गई हैं। 10 साल पहले यह आंकड़ा 932 का था। यह 1981 से लेकर अब तक का सबसे कम लिंगानुपात है और राष्ट्रीय औसत से भी कम है।

वर्ष	2001	2011	अंतर
जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार लिंगानुपात	932	918	14

- राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो 2012 के अनुसार म.प्र. भ्रूण हत्या (30 प्रतिशत) और शिशु हत्या (20 प्रतिशत) के मामले में देश में प्रथम है।
- प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में गर्भपात के मामलों में वृद्धि हुई है। बीते 8 सालों में ढाई लाख से ज्यादा शिशु विभिन्न कारणों से दुनिया में नहीं आ सके। पिछले साल गर्भपात के 55 हजार से ज्यादा मामले हुए हैं, इसमें भोपाल सबसे अव्वल रहा है ,जहां 15634 गर्भपात कराए गए हैं। प्रदेश में वर्ष 2005–6 में कुल 21220 गर्भपात हुए थे, जो वर्ष 2012–13 में बढ़कर 55333 पर आ चुके हैं।

- बेटी बचाओ अभियान, लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जैसी योजनाओं के बाद भी मध्यप्रदेश देश का ऐसा राज्य है, जहां सर्वाधिक कन्या भ्रूण हत्या के मामले दर्ज होते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश कन्या भ्रूण हत्या में शीर्ष पर है। पिछले चार सालों में प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या के कुल 127 मामले दर्ज किए गए हैं। वही इस दौरान देशभर में कुल 480 मामले दर्ज हुए हैं। वर्ष 2009 में प्रदेश में 39, वर्ष 2010 में 18, वर्ष 2011 में 38, और 2012 में 32 ऐसे मामले दर्ज किए गए है।

गुमशुदा बच्चे :

- गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता द्वारा 6 मार्च 2013 को विधानसभा में दी गई लिखित जानकारी के अनुसार म.प्र. में जनवरी 2008 से मार्च 2013 के बीच कुल 29,828 नाबालिक लड़कियॉ गायब हुई हैं जिनमें 4,990 लडकियॉ अभी तक नही मिली है। इसी दौरान नाबालिक लड़कियों के साथ 7306 बलात्कार के मामले दर्ज किये गये। इंदौर में गायब होने वाली लड़कियों के मामले सबसे ज्यादा रहे हैं जबकि नाबालिक लड़कियों के बलात्कार के मामले में राजधानी भोपाल सबसे आगे रहा है।
- प्रदेश के पुलिस महकमे द्वारा वर्ष 2006 से लेकर 2011 तक तैयार रिकार्ड के मुताबिक इस दौरान म.प्र. में 43 हजार 920 बच्चे लापता हुए हैं, जिसमें 23 हजार 969 बालिकाएं और 19 हजार 969 बालक हैं। इनमें 16 हजार 747 बच्चों का पता चल गया है। करीब 3500 बालकों का अब तक सुराग नहीं मिला है। इसी प्रकार 18 हजार 171 बालिकाओं का पता चल गया है, लेकिन 5 हजार 880 बालिकाएं अभी भी लापता है
- विकास संवाद की रिर्पोट 'म.प्र. में नीलाम होता बचपन3के अनुसार मध्यप्रदेश में रोज 24 बच्चे खो रहे हैं। पिछले 9 वर्षों (वर्ष 2003 से अक्टूबर 2011 तक) में कुल 75,521 बच्चे गुम हुए हैं। इनमें 40,053 बालिका तथा 35,168 बालक हैं। इन गुमशुदा बच्चों में अभी भी 12,936 बच्चों का कोई अता–पता नहीं है जिसमें 8,108 बालिकाएं तथा 4,528 बालक हैं। यह आंकड़े वो है जो कि रिकार्ड में दर्ज हैं। जबकि ऐसे करीब 20 प्रतिशत प्रकरण दर्ज ही नहीं होते हैं। वही 2005 से 2010 के बीच में 2965 बच्चों के अपहरण के मामले दर्ज हुए। इनमें से 89.5 प्रतिशत मामले लड़कियों से जुड़े हैं।
- विकास संवाद की रिर्पोट 'म.प्र. में नीलाम होता बचपन' के अनुसार पिछले 5 वर्षों (वर्ष 2007 से 2011 तक) में प्रदेश के 8 आदिवासी बहुल जिलों से 5499 लड़कियॉ गायब हुई हैं। जिनमें 1501 लड़कियों अभी तक नही मिली है। यह स्थिति बताती है कि प्रदेश में लड़कियों की तस्करी का जाल कितना मजबूत है। सबसे ज्यादा आदिवासी इलाकों से लड़कियॉ गायब हो रही हैं।

हिफाजत नेटवर्क की रिपोर्ट 'स्टेट्स ऑफ मिसिंग चिल्ड्रेन 2012' के अनुसार स्थिति :

- हिफाजत नेटवर्क की रिपोर्ट 'स्टेटस ऑफ मिसिंग चिल्ड्रेन 2012' के अनुसार प्रदेश में पिछले तीन वर्षो (2010–12) के बीच कुल 31617 बच्चे गायब हुए हैं जिसमें से 6307 बच्चे अभी तक नही मिले हैं। प्रदेश में गायब होने वाले बच्चों की दर प्रति वर्ष औसत्न 8 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है।
- इसी प्रकार अगर पिछले तीन सालों के दौरान गायब हुए ना मिलने वाले बच्चों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हुई है। जहॉ 2010 में ना मिलने वाले बच्चों की संख्या 1330 थी वहीं यह 2012 में बढ़ कर यह 2896 हो गई है। इन ना मिलने वाले बच्चों में लड़कियों की संख्या ज्यादा है जो कि 2010 में 15.18 प्रतिशत से बढ़ कर 2012 में 31.04 प्रतिशत हो गई है।
- प्रदेश में गायब होने वाले बच्चों के आंकड़ों को लेकर सरकार के विभागों में ही फर्क दिखायी दे रहा है जिसके कारण ट्रेकिंग सिस्टम पर ही गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ सरकार द्वारा विधान सभा में दिये गये आंकड़ों में जानकारी दी गई कि 2010 और 2011 में प्रदेश में कुल 17940 बच्चे गायब हुए हैं, वही प्रदेश के सी.आई.डी. के आंकड़े बताते हैं कि 2010 और 2011 के दौरान 20568 बच्चे गायब हुए हैं।

[3] www.mediaforrights.org/reports/hindi-reports/1023-मध्यप्रदेश में नीलाम होता बचपन

Community Health Library and Information Centre (CLIC) CPHE - SOCHARA Koramangala Bangalore - 34

बच्चों के विरुद्धअपराध/दुष्कर्म के मामले

- राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो 2012 के अनुसार म.प्र. देश में बच्चों के विरुद्व दुष्कर्म के मामले में पहले स्थान पर है वहीं बच्चों के विरुद्व अपराध (13.5 प्रतिशत) के मामले में दूसरे स्थान पर है। फिर भी प्रदेश में बाल सुरक्षा का क्षेत्र उपेक्षा का शिकार है।
- एशियन सेंटर फार हयूमेन राइट्स की रिर्पोट ' इंडियास् हेल होल्स' के अनुसार म.प्र में वर्ष 2001 से 2011 तक बच्चों के साथ रेप के 9465 केस हुए है जो कि देश के अन्य राज्यों से सबसे ज्यादा है।

हिफाज़त नेटवर्क, द्वारा 'मध्य प्रदेश में बच्चों की स्थिति पर एक विश्लेषण रिपोर्ट 2012' के अनुसार स्थिति

- मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख जिलों (ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल और जबलपुर) 2004 से 2011 तक लापता हुए बच्चों की कुल संख्या 18435 रिपोर्ट की गई है, जो कि इसी अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में कुल गायब बच्चों की 28 प्रतिशत है। इन चार जिलों के लापता बच्चों में 45 प्रतिशत लड़कियाँ है।
- केवल राजधानी भोपाल में ही लगभग 1900 बच्चे गरीबी के कारण भीख मांगने सम्बन्धी गतिविधियों में संलिप्त पाये गये हैं। इन बच्चों का समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) अथवा सामाजिक न्याय में कोई उल्लेख नहीं है।
- मध्य प्रदेश के 13 जेलों में अपनी मां के साथ रह रहे 101 बच्चों के लिए कोई आंगनबाड़ी एवं उपयुक्त भोजन सुविधाएँ नहीं हैं।
- मध्य प्रदेश में पिछले 8 वर्षो की अवधि में असंरक्षित बच्चों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। 2012 में ही इसमें 80.16 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।
- प्रदेश में लगभग 14908 बच्चे रेलवे प्लेटफार्म पर रह रहे हैं जिनके ऊपर सरकारी विभाग का ध्यान नहीं गया है।
- कानून के अनुसार हर जिले में विशिष्ट किशोर पुलिस इकाई होनी चाहिए और हर पुलिस थाने में कानून के साथ संघर्ष की स्थिति वाले बच्चों के साथ काम करने के लिए पुलिस विभाग का एक बाल कल्याण अधिकारी भी होना चाहिए। किन्तु संशोधन के 5 वर्ष के बाद भी स्थिति सोचनीय बनी हुई है। 50 जिलों में से 8 में ही विशिष्ट किशोर पुलिस इकाई है और वह भी यूनीसेफ द्वारा समर्थित है क्योंकि सरकार ने विशिष्ट किशोर पुलिस इकाई को कार्यान्वित करने के लिए कोई बजट आबंटित नहीं किया है।

हिफाजत नेटवर्क द्वारा 'मध्यप्रदेश में बाल संरक्षण संरचनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति रिपोर्ट 2013' के अनुसार स्थिति

- प्रदेश के सभी पचास जिलों में बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है पर अध्ययनित 42 जिलों में से 10 जिलों में इस समिति के लिये कोई कार्यालय नहीं है। जिन जिलों में कार्यालय नहीं हैं वे हैं हरदा, धार, नीमच, अनूपपुर, बड़वानी, खरगोन, श्योपुर, शाजापुर, टीकमगढ़ व अशोकनगर।
- बाल कल्याण समिति के 210 सदस्यों में से केवल 19 सदस्य ऐसे हैं कि जिन्हें बाल अधिकार का अनुभव है। यह प्रतिशत में 7 फीसदी के आसपास जाकर ठहरता है।
- मध्यप्रदेश में वर्तमान में लगभग 14000 से ज्यादा किशोर न्याय के प्रकरण लंबित हैं।
- प्रदेश के 28 जिलों के किशोर न्याय बोर्ड में कुल 6303 प्रकरण लंबित हैं। इन लंबित प्रकरणों का खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं। कुछ जिलों में तो यह प्रकरण तीन–तीन साल से लंबित हैं।
- अध्ययनित 42 जिलों में से 32 जिलों में विशेष किशोर पुलिस ईकाई नहीं है।

☞ जिन 10 जगहों पर प्रदेश में एसजेपीयू संचालित हो रही है उनमें से केवल उज्जैन को छोड़ दें तो एक भी जगह यह स्थान मानक के अनुरुप नहीं है। राजगढ़ में यह पुलिस थाने की परिधि में है, राजधानी भोपाल में यह अजाक थाने में संचालित की जा रही है।

सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य एवं मध्यप्रदेश की स्थिति

(संदर्भ –भारत सरकार की सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की स्थिति रिर्पोट 2011 एवं भोजन के अधिकार अभियान द्वारा भोपाल में बच्चों के भोजन के अधिकार पर दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन 2012 के अवसर पर जारी रिर्पोट ''क्यों हम शर्मसार हैं'')

☞ **बाल मृत्यु (अनुपात)** –1990 में म.प्र में बाल मृत्यु दर 147.60 थी जिसे 49.20 तक लाने का लक्ष्य रखा गया था। परन्तु अब तक हुई प्रगति के आधार पर भारत सरकार का आंकलन है कि वर्ष 2015 तक प्रदेश 76.37 के स्तर तक ही पहुॅच पायेगा।

☞ **शिशु मृत्यु दर** – 1990 में म.प्र में शिशु मृत्यु दर 111 थी जिसे 37 तक लाने का लक्ष्य रखा गया था। परन्तु अब तक हुई प्रगति के आधार पर यह आंकलन किया गया है कि वर्ष 2015 तक प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 58.7 के स्तर तक ही पहुॅच पायेगी।

☞ **मातृ मृत्यु दर** –1990 में म.प्र और छत्तीसगढ़ की संयुक्त स्थिति के मुताबिक मातृ मृत्यु अनुपात 602.78 थी जिसे वर्ष 2015 में घटा कर 150.70 के स्तर तक लाने का लक्ष्य रखा गया था। परन्तु मातृ मृत्यु अनुपात के सदर्भ में किये गये विश्लेषण से पता चलता है कि 2015 तक प्रदेश में मातृ मृत्यु अनुपात 199.22 के स्तर तक ही पहुॅच पायेगी।

☞ **खसरा (मीजल्स)** –वर्ष 98–99 के दौरान म.प्र में 34.1 प्रतिशत बच्चों को खसरे से बचाव के टीके लग रहे थे। जिसे 2015 तक शत् प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक हुई प्रगति के आधार पर यह आंकलन किया गया है कि वर्ष 2015 तक 76.29 प्रतिशत बच्चों को ही खसरा के टीके लग रहे होंगे।

☞ म.प्र में 3 साल से कम उम्र के कुपोषित बच्चों की संख्या 2015 तक घटा कर 21.87 तक लाने का लक्ष्य रखा गया था। परन्तु केन्द्र सरकार के मुताबिक प्रदेश में यह संख्या 69.80 तक ही पहुॅच पायेगी।

☞ 12 से 23 माह के बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य 2015 तक श्तप्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया था परन्तु यह 80.89 तक ही पहुॅच पायेगी।

बच्चों के लिए बजट आवंटन और व्यय[4]

बच्चों के लिये बजट विश्लेषण में वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2013–14 के बीच प्रमुख योजनाओं को देखने का प्रयास किया जा रहा है। नीचे दी गई तालिकाओं में (–) चिन्ह तात्पर्य है कि आवंटन से कम व्यय किया गया, वही (+) चिन्ह से आशय है कि आवंटन से अधिक व्यय किया गया है।

मध्य प्रदेश में बच्चों के विकास से संबंधित प्रमुख योजनाएं और आवंटित बजट

अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिये आवासीय विद्यालय:-

- अनूसूचित जाति /जनजाति छात्रों के लिये आवसीय विद्यालय के निर्माण व संघारण हेतु किये गये आवंटन ओर व्यय पर नजर डालें तो वास्तविक व्यय के आंकड़े अत्यंत अस्थिर प्रकति के हैं। जहां वित्तीय वर्ष 2008–09 में आवंटित की गई पूर्ण राशि व्यय हुई, वहीं वित्तीय वर्ष 2011–12 में लगभग 90 प्रतिशत व्यय नहीं की गई। जो कि विकास से वंचित और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के बच्चों के प्रति हमारी गंभीरता और संवेदनशीलता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है बजट आवंटन ही नही व्यय पर भी ध्यान देना होगा, तभी बच्चों के विकास व कल्याण के प्रयास सही मायनों में सफल होगे।

तालिका: अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आवासीय विद्यालय :-

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन (Cr)	वास्तविक व्यय (Cr)	बजट आवंटन और वास्तविक व्यय के बीच अंतर (Cr)
2008–09	2.5	2.5	0.0
2009--10	5.9	4.8	–1.1
2010–11	4.1	4.4	–0.3
2011–12	9.4	1.0	–8.4
2012–13	14.2	10.6	–3.6
2013–14	20.0		–20.6

छात्राओं को नि:शुल्क साईकिल का प्रदाय:-

- वित्तीय वर्ष 2008–09 का बजट प्रदेश का पूर्व विधानसभा–चुनाव बजट था। इसलिए वित्तीय वर्ष 2008–09 में आवंटन से 29.5 करोड़ रूपये अधिक व्यय किये गये अर्थात चुनावों को देखते हुये पुनरीक्षित बजट के दौरान आवंटन में वृद्धि की गई। वही वित्तीय वर्ष 2011–12 में इस योजना का बजट अपने पूववर्ती वर्ष से दो गुना से भी अधिक बढ़ा दिया गया। जबकि वित्तीय वर्ष 2010–11 में आवंटन से लगभग 2 करोड़ रूपये कम खर्च किये गये अतः स्पष्ट है कि जनमानस पर तात्कालिक लोक लुभावन प्रभाव योजनाओं पर चुनावी सालों के नजदीक अधिक ध्यान दिया जा रहा है। वही मध्यप्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में शाला भवन, बाउन्ड्री–वाल ौचालय और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्कूल तक सड़क और पीने का पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता तो है ही साथ ही शिक्षा के अधिकार के कानून को लागू करने की भी जिम्मेदारी है तो ऐसे में बुनियादी सेवाओं पर भी विशेष ध्यान देना होगा।

[4]A Quick Analysis of Budget for children in MP 2013-14 by SANKET Devlopment Group Bhopal

तालिका: छात्राओं को नि:शुल्क साईकिल का प्रदाय

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन (Cr)	वास्तविक व्यय (Cr)	बजट आवंटन और वास्तविक व्यय के बीच अंतर (Cr)
2008–09	53.0	82.5	29.5
2009–10	61.3	71.9	10.6
2010–11	71.6	69.7	–1.9
2011–12	149.1	197.3	48.2
2012–13 (RE)	229.6	203.2	– 26.4
2013–14	204.1		–204.1

बेटी बचाओ योजना

- इस योजना की शुरूआत वित्तीय वर्ष 2012–13 से शुरू हुई और पुनरीक्षित बजट आने तक आवंटित की गई समस्त राशि 6.50 करोड़ व्यय भी की जा चुकी। अतः निश्चित ही आवंटित राशि में आगे बढोतरी की प्रबल संभावना है। चूंकि ऐसी योजनाओं के माध्यम से सरकार की सकारात्मक और विकासात्मक छवि का प्रचार–प्रसार होता है। अतः सरकार इस तरह की योजनाओं में खास रूचि लेती है, इसे विकासात्मक गतिविधि से ज्यादा आगामी विधानसभा–चुनाव वर्ष 2013–14 की तैयारी कहा जा सकता है।

तालिका: बेटी बचाओ योजना

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन (Cr)	वास्तविक व्यय (Cr)	बजट आवंटन और वास्तविक व्यय के बीच अंतर (Cr)
2008–09	0.0	0.0	0.0
2009–10	0.0	0.0	0.0
2010–11	0.0	0.0	0.0
2011–12	0.0	0.0	0.0
2012–13(RE)	6.5	6.5	0.0
2013–14	6.0		.6.0

गांव की बेटी योजना:–

- गांव की बेटी योजना का प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2009–10 में बजट आवंटन के साथ हुआ वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2010–11 तक प्रतिवर्ष औसत 43 प्रतिशत राशि व्यय नहीं हुई। तथा प्रतिवर्ष औसत आवंटन महज 2 करोड़ रहा। अतः हमारी ग्रामीण बालिकाओं के विकास हेतु और अधिक आर्थिक निवेश तथा ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।

तालिका: गांव की बेटी योजना

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन (Cr)	वास्तविक व्यय (Cr)	बजट आवंटन और वास्तविक व्यय के बीच अंतर (Cr)
2008–09	0.0	0.0	0.0
2009–10	2.1	1.3	– 0.8
2010–11	3.4	1.5	– 1.9
2011–12	2.0	1.3	– 0.7
2012–13 (RE)	2.6	2.6	0.0
2013–14	2.0		– 2.0

लाड़ली लक्ष्मी योजनाः-

- लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिये वित्तीय वर्ष 2008-09 में 25 करोड़ रूपये आवंटित किये गये, परंतु इसी वर्ष वास्तविक व्यय 130 करोड़ रूपये रहा। अतः आवंटन और वास्तविक व्यय के बीच भारी अंतर है और स्पष्ट है कि योजना के लिये बजट करते समय उचित प्लानिंग और दूरदर्शिता का स्पष्ट अभाव है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2013-14 का बजट 34 गुना बृद्धि के साथ 850 करोड़ हो गया है।

तालिकाः लाड़ली लक्ष्मी योजना

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन (Cr)	वास्तविक व्यय (Cr)	बजट आवंटन और वास्तविक व्यय के बीच अंतर (Cr)
2008-09	25.0	130.3	105.3
2009-10	276.0	248.1	– 27.9
2010-11	303.0	316.3	13.4
2011-12	439.8	691.6	251.8
2012-13(RE)	650.2	800.5	150.3
2013 -14	850.0		– 850.0

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकेंः-

- निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना की बात करें तो हम पायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2011-12 के बीच लगभग 5 करोड़ रूपये बजट आवंटन के बावजूद व्यय नही किये गये। वित्तीय वर्ष 2010-11 आवंटन से 3.5 करोड़ रूपये कम खर्च किये गये और इसी वर्ष के बाद से बजट आवंटन में भी कमी दर्ज की जा रही है।

तालिकाः निःशुल्क पाठ्य पुस्तक

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन (Cr)	वास्तविक व्यय (Cr)	बजट आवंटन और वास्तविक व्यय के बीच अंतर(Cr)
2008-09	40.0	40.0	– 0.1
2009-10	55.7	55.4	– 0.3
2010-11	54.1	50.6	– 3.5
2011-12	32.9	32.0	– 0.9
2012-13(RE)	46.3	40.0	– 6.3
2013-14	42.2		–42.2

न्यूनतम पूरक पोषाहार योजनाः-

- बच्चों के लिए न्यूनतम पूरक पोषाहार योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2013-14 के बीच प्रतिवर्ष औसत 748 रूपये व्यय किए जा रहे हैं।

- वित्तीय वर्ष 2009-10 में जहां आवंटन से लगभग 33 प्रतिशत कम व्यय किए गए वहीं वित्तीय वर्ष 2010-11 में आवंटन से 27 प्रतिशत अधिक व्यय हो रहा है, अतः मध्यप्रदेश मे कुपोषण की स्थिति को देखते हुए आंकड़ों की अस्थिर प्रवृत्ति हमारी गंभीरता और संवेदनशीलता में कमी की ओर इंगित करती है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2008-09 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-2014 के बजट में पोषाहार के लिए लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जा रही है।

तालिका:-8 न्यूनतम पूरक पोषाहार योजना

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन (Cr)	वास्तविक व्यय (Cr)	बजट आवंटन और वास्तविक व्यय के बीच अंतर(Cr)
2008–09	301.2	249.6	–516
2009–10	780.0	525.5	–254.5
2010–11	708.2	897.6	189.4
2011–12	844.9	899.5	54.6
2012–13 (RE)	1107.5	1107.5	0.0
2013–14	1203.2		

आश्रमों /छात्रावास का सुदृढ़ी करण

इस हेतु प्रतिवर्ष औसत व्यय 470 करोड़ रूपये रहा है। अगर छात्रावासों/आश्रम के रख रखाव की बात की जाए तो पिछले पांच वित्तीय वर्ष में 2010–11 को छोड़ कर शेष सभी वर्षो में आवंटन से अधिक व्यय हुआ। परंतु छात्रावासों/आश्रम में गुणवत्ता होना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, और प्रदेश में हमारी शिक्षा व्यवस्था की एक अनिवार्य आवश्यकता भी है। जिसको सुनिश्चित करना अत्यन्त आवश्यक है।

तालिका:आश्रमों /छात्रावास का सुदृढ़ी करण

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन (Cr)	वास्तविक व्यय (Cr)	बजट आवंटन और वास्तविक व्यय के बीच अंतर (Cr)
2008–09	381.8	433.5	51.7
2009–10	485.8	625.8	140.0
2010–11	613.1	477.3	–135.8
2011–12	762.8	816.0	53.1
2012–13 (RE)	970.8	1324.7	353.9
2013–14	1374.6		

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम:-

वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2013–14 के बीच औसत वार्षिक व्यय 651 करोड़ रूपये रहा है। जहां वित्तीय वर्ष 2010–11 में आवंटन से क्रमशः 17 प्रतिशत और 32 प्रतिशत कम व्यय किया गया है। जो कि शिक्षा व्यवस्था के प्रति हमारी सरकार की उपेक्षा का स्पष्ट परिचायक है। मध्यान्ह भोजन हेतु आवंटन और व्यय की अस्थिर प्रवृत्ति निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है।

तालिका: मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन (Cr)	वास्तविक व्यय (Cr)	बजट आवंटन और वास्तविक व्यय के बीच अंतर (Cr)
2008–09	570.3	609.1	38.8
2009–10	716.4	596.5	–119.9
2010–11	608.3	412.9	–195.4
2011–12	475.0	568.9	93.9
2012–13 (RE)	620.5	1071.3	450.8
2013–14	721.4		

गणवेश का प्रदाय

- प्रतिवर्ष औसत व्यय पिछले पांच वर्षो के बीच लगभग 40 करोड़ रूपये रहा वित्तीय वर्ष 2009–10 में आवंटन से 73 प्रतिशत अधिक व्यय हुआ जबकि वर्ष 2011–12 व वर्ष 2012–13 में आवास से 64 प्रतिशत कम व्यय दिखाई दे रहा है।

तालिका गणवेश का प्रदाय

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन (Cr)	वास्तविक व्यय (Cr)	बजट आवंटन और वास्तविक व्यय के बीच अंतर (Cr)
2008–09	14.4	14.4	0.0
2009–10	44.7	77.5	32.8
2010–11	67.4	66.8	– 0.5
2011–12	69.7	24.8	–44.9
2012–13 (RE)	79.1	15.1	–64.0
2013–14	18.9		

- कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जहां तक मध्यप्रदेश में बच्चों के विकास की बात की जाए तो सरकार का रवैया अत्यन्त उपेक्षा पूर्ण, असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना है। विशेष रूप से तब जबकि प्रदेश में बच्चो से संबंधित विकास सूचकांक अत्यन्त चिन्ताजनक है। बजट आवंटन और व्यय के आंकड़ो से स्पष्ट रूप पता चलता है कि बच्चों के लिए आवंटन करते समय उचित योजना, दूरदर्शिता और गम्भीरता तथा प्रतिबद्धता का स्पष्ट अभाव है इसी कारण से साल दर साल आवंटन और व्यय के आंकड़ो में भारी अन्तर देखने को मिल रहा है।

बच्चों के लिए बजट

मध्यप्रदेश में बच्चों के समग्र विकास को मानव विकास के सूचंकाक के नजरिये से देखें तो स्थिति अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। बजट विश्लेषण के इस भाग में वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2013–14 के बीच मध्यप्रदेश में सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण व विकास हेतु किये जा रहे आवंटन और वास्तविक व्यय को देखने का प्रयास किया गया है।

प्रमुख बिंदु :

- म.प्र में पिछले तीन वित्तीय वर्षो (2010–11, 2011–12, 2012–13 और 2013–14) में राज्य के कुल बजट आबंटन में बच्चों के लिए बजट आबंटन की हिस्सेदारी लगातार 15 से 17 फीसदी ही रही है।
- वित्तीय वर्ष 2013–14 में बच्चों के लिए आबंटित कुल बजट में से बाल विकास के लिए 16 प्रतिशत, बाल शिक्षा के लिए 33 प्रतिशत तथा बाल सुरक्षा के लिए 1 प्रतिशत और बाल स्वास्थ के लिए कोई राशि आवंटित नही की गई है।
- बाल स्वास्थ के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2012–13 के बीच कोई बढ़ोत्तरी नही की गई थी। 2013–14 में बजट में इसके लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है। जबकि म.प्र में बाल रोग विशेषज्ञ के 572 पद खाली पड़े हैं। यानी बाल स्वास्थ उपेक्षित है और यह राज्य की प्राथमिकता में नही आता है।
- वित्तीय वर्ष 2011 में बाल सुरक्षा के लिए बजट आबंटन 10 करोड़ रुपये था। जिसे वित्तीय वर्ष 2012–13 में घटा कर महज 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यदि इसे प्रति बच्चे के रूप में देखे तो राज्य में प्रति बच्चे की सुरक्षा पर खर्च 1.94 रुपये प्रति वर्ष है। याने प्रदेश की सरकार बच्चों की सुरक्षा के प्रति संवेदनहीन है।
- कुपोषण दूर करने संबंधी योजनाओं में प्रदेश सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है लेकिन यह अलग बात है कि खर्च की गयी राशि की तुलना में इसका फायदा सिफर रहा। वर्ष 2009–10 में जहां इस मद में 511.96 करोड़ खर्च किये गए वही वर्ष 2010–11 में 870.74 करोड़ व्यय किये गए। 2011–12 में 893.62 करोड़ व्यय किये गए तो वर्ष 2012–13 में 770–54 करोड़ खर्चे गए। यानि पिछले चार सालों में तीन हजार करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है लेकिन प्रदेश में कुपोषण की स्थिति में ज्यादा फर्क देखने को नही मिलता है।
- बाल शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 11–12 की तुलना में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। हालाकि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 11–12 में बाल शिक्षा का कुल बजट बच्चों के लिए कुल बजट का 81 प्रतिशत था जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 12–13 में घट कर 79 प्रतिशत हो गया है। इसलिए इससे एक सामान्य और नियमित वृद्वि ही कहा जा सकता है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को देखते हुए बजट में यह मामूली वृद्वि सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा क्षेत्र की उपेक्षा को दर्शाता है।

म.प्र. की 13वीं विधानसभा के 10वें सत्र के दौरान विधान सभा में बच्चों से संबंधित पूछे गये प्रश्न (मानसून सत्र जुलाई 2011)

(संदर्भ –सोशल वॉच मध्यप्रदेश की रिर्पोट म.प्र. विधान सभा में प्रश्नकाल')

विभिन्न विभागों से 13वी विधानसभा के 10वें सत्र (जुलाई 2011) के दौरान विधान सभा में पूछे गये प्रश्नों का विश्लेषण

- 13वी विधानसभा के 10वें सत्र में कुल 2100 प्रश्न किये गये जिसमें से 1063 तारांकित और 1037 अतारांकित थे।
- इस दौरान बच्चों से जुड़े कुल 44 प्रश्न किये गये जिसमें शिक्षा को लेकर 17 प्रश्न (38 फीसदी), बच्चों से जुड़ी योजनाओं को लेकर 13 प्रश्न (30 फीसदी), बाल स्वास्थ को लेकर 6 प्रश्न (14 फीसदी), बाल अपराध को लेकर 2 प्रश्न (5 फीसदी), बाल श्रम को लेकर 1 प्रश्न (2 फीसदी) तथा अन्य जानकारियों को लेकर 5 प्रश्न (11फीसदी) किये गये।
- स्कूल शिक्षा विभाग से कुल 187 प्रश्न किये गये जिसमें से 58 तारांकित और 129 अतारांकित थे।
- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से कुल 133 प्रश्न किये गये जिसमें से 75 तारांकित और 58 अतारांकित थे।
- महिला और बाल विकास विभाग से कुल 36 प्रश्न किये गये जिसमें से 14 तारांकित और 22 अतारांकित थे।
- सामाजिक न्याय विभाग से कुल 27 प्रश्न किये गये जिसमें से 13 तारांकित और 14 अतारांकित थे।
- प्रश्नकाल में मुद्दों पर केंद्रित होकर कुल 179 प्रश्न पूछे गये जिसमें से 25 फीसदी प्रश्न बच्चों से, 30 फीसदी अजा व अजजा, 16 फीसदी महिलाओं तथा 29 फीसदी रोजगार से संबंधित थे।
- इस सत्र में स्कूल शिक्षा विभाग से सबसे ज्यादा 187 प्रश्न किए गये हैं। इन प्रश्नों में अपराध, भ्रष्टाचार, अनियमितता से सबंधित 48 प्रश्न (26 फीसदी) है, तबादला, पद्स्थापना, पदपूर्ति से सबंधित 55 प्रश्न (29 फीसदी), नियम, नीति, शासकीय निर्देशों की जानकारी सबंधी 34 प्रश्न (18फीसदी) है एवं अन्य 50 प्रश्न(27 फीसदी) है।

हमारी मांगे

अनिवार्य और गुणवतापूर्ण शिक्षा

- शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे को व्यापक करते हुए इसमें 0 से 18 साल तक के सभी बच्चों को शामिल किया जाए।
- शिक्षा अधिकार कानून के मानकों को पूरा करने में कानून लागू हुए तीन वर्ष पूरे होने के बाद भी दिनांक 31 मार्च 2013 तक मध्य प्रदेश काफी पीछे रहा है। अतः इन मानकों को पूरा करने के लिए निश्चित समय–सीमा, जबाबदेही एवं कार्ययोजना सुनिश्चित की जाए एवं इसके लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था भी की जाए।
- शिक्षा अधिकार कानून में शिक्षकों की संख्या और योग्यता के बारे में विशेष प्रावधान तय किये गये हैं। किन्तु इन प्रावधानों का पालन मध्यप्रदेश में नहीं हो पा रहा है। यहां कई स्तर के शिक्षक मौजूद है जिन्हें सहायक शिक्षक, अध्यापक संवर्ग और संविदा शिक्षक के नाम से जाना जाता हैं। इस संबंध में विशेष वित्तीय प्रावधान लागू करते हुये पूर्णकालिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।
- प्रदेश में प्रत्येक 5 कि.मी. के दायरे में हाई स्कूल की व्यवस्था सुनिश्चत की जाए ताकि बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिले।
- शाला प्रबंधन समिति में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे के माता और पिता दोनों को शामिल किया गया है इस कारण प्राथमिक शाला में 14 के स्थान पर केवल 7 बच्चों के और माध्यमिक शाला में 12 के स्थान पर केवल 6 बच्चों के माता पिता का ही प्रतिनिधित्व हो पाता है। शाला प्रबन्धन समिति (एस.एम.सी.) के गठन के संदर्भ में यह जरुरी है कि – एस.एम.सी. के सदस्यों के चयन का आधार उनके बच्चों द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक न हों। केन्द्रीय कानून की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए सदस्यों के चयन का मानदंड ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया जाए।
- वर्तमान में मध्य प्रदेश में शाला प्रबंधन समिति में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण तो किया गया है परंतु, आरक्षण के नाम पर एक ही परिवार के दंपति को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस कारण बैठकों में महिला सदस्यों की भागीदारी नहीं हो पाती है। इस व्यवस्था को तत्काल खतम करते हुए, शाला प्रबंधन समिति में महिलाओं की आरक्षण व्यवस्था को ज्यादा व्यवहारिक बनाया जाए।
- बाल सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए शाला प्रबंधन समिति में बच्चों को भी सदस्य बनाया जाए।
- शाला प्रबंध समिति को उनके अधिकारों व जवाबदेही तथा शिक्षा के अधिकार कानून के अन्य प्रावधानों पर गहन रुप से विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाए।
- स्कूल शिक्षा व्यवस्था में समाहित सभी सेवाओं और कार्यक्रमों (शिक्षा, मध्यान्ह भोजन, स्कूल, स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि) के संदर्भ में बच्चों के द्वारा अंकेक्षण करवाने (बाल केंद्रित अंकेक्षण) की व्यवस्था खड़ी की जायेगी, जिसमें वर्श में दो बार यह अंकेक्षण किया जायेगा और इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए गुणवत्ता प्रबंधन में इसका उपयोग किया जायेगा।
- प्रदेश के सभी स्कूलों में स्वच्छ व पर्याप्त पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- शिक्षा के अधिकार को प्रदान कराने में विभिन्न हिस्सेदारों की भूमिका व जिम्मेदारियों पर कम से कम एक सरल भाषा में पुस्तिका तैयार कर उन्हें उपलब्ध कराई जाए इनमें शिक्षकगण, शाला प्रबन्धन समिति, स्थानीय प्राधिकारी, पालक, शासन, इत्यादि शामिल हैं।
- शिक्षा का अधिकार कानून के क्रियान्वयन में सामाजिक न्याय, आदिवासी विभाग व श्रम विभाग तथा पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भी सम्मिलित किया जाए।
- प्रदेश के विद्यालयों में शौचालयों की उपलब्धता व उपयोगिता में पाई जाने वाली दिक्कतों जैसे (पानी एवं सफाई) को तत्काल दूर किया जाए तथा सभी विद्यालयों में लड़कों व लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालयों की व्यवस्था एवं उपयोगिता सुनिश्चित की जाए।

- हर बच्चे के लिए शिक्षा की गुणवत्ता, पहुँच और उसमें समानता सुनिश्चित की जाए।
- किसी भी बच्चे को उसकी शिक्षा में रुकावट के लिए जिम्मेदार बाधाओं को चिन्हित किया जाए और बच्चों को कॉपी, पेन, पेन्सिल, स्लेट व अन्य शैक्षणिक सामग्री उनके हक के बतौर उपलब्ध करायी जाए।
- किशोर न्याय अधिनियम के अर्न्तगत आने वाले सभी गृहों के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के कानून की पहुँच में लाया जाए।
- म.प्र में तकरीबन 15 हजार बच्चे रेलवे प्लेटफार्म पर रहते हैं। इन सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून से जोड़ा जाए तथा उनके लिए सम्मानपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
- कचरा बीनने वाले तथा भिक्षावृति से जुड़े बच्चों तक शिक्षा के अधिकार कानून की पहुँच बनाई जाएं।
- निजी व विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों में कमज़ोर तबकों व वंचित समूहों के बच्चों के 25 प्रतिशत दाखिले के लिये चयन की प्रक्रिया या तो जाति आधारित है या आय आधारित। इस सन्दर्भ में पालकों की आर्थिक स्थिति को भी प्राथमिकता दी जाए।
- शिक्षकों की नियुक्ति में वेतन, सेवा शर्तों, योग्यता, इत्यादि में शिक्षा का अधिकार कानून के धारा 23 व 24 के अनुसार समरूपता लाई जाए।
- राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एस.सी.पी.सी.आर.) को क्रियाशील बनाया जाए ताकि उनकी पहुंच दूर दराज के स्कूल तक बने। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार कानून की निगरानी के लिए एस.सी.पी.सी.आर. में अलग से आर.टी.ई. सेल का गठन किया जाए।
- सभी प्रकार से कमजोर बच्चों के लिए सामान्य शालाओं में समावेशी शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाए।
- सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत् चलायी जा रही योजना आई.ई.डी.सी. के तहत विशेष बच्चों की शिक्षा के लिए हर स्कूल में एक वालन्टियर तथा हर संकुल स्तर पर एक मोबाइल रिर्सोस कॉउन्सलर की नियुक्ति की जाए। इसके लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाए।
- असर रिर्पोट 2012 के अनुसार, म.प्र उन पांच बद्तर राज्यों में शामिल है जहॉ कक्षा 3 से 5 तक के केवल 39.3 प्रतिशत बच्चे ही कक्षा 1 की किताब पढ़ सकते हैं। म.प्र में 8 कक्षा के केवल 24 प्रतिशत विधार्थी ऐसे है जो अंग्रेजी में वाक्य पढ़ सकते हैं। अतः स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाए।
- शाला स्तर पर शिक्षा संबंधी योजनाओ के क्रियान्वयन और वहां आवंटित राशि के व्यय किए जाने की प्रक्रिया पर पारदर्शिता एवं जनसहभागिता कायम करने के लिए प्रत्येक शाला स्तर पर सोशल ऑडिट की प्रक्रिया को अनिवार्य घोषित किया जाए।
- जाति प्रमाणपत्र के लिये अभी तय 50 साल के रिकॉर्ड के स्थान पर केवल छात्र के माता पिता या फिर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र बनाया जाए और यह प्रमाणपत्र स्थाई हों।
- मध्यान्ह भोजन के लिए प्रति बच्चे के हिसाब से वर्तमान आबंटित राशि को बढ़ाया जाए। जो कि प्राथमिक स्तर के लिए 8 रु प्रति बच्चा तथा माध्यमिक स्तर के लिए 10 रु प्रति बच्चा की दर से हो साथ ही साथ इसमें समय समय पर बढ़ती मंहगाई के अनुसार संशोधन किया जाए।
- मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता और निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा समुदाय आधारित मूल्यांकन प्रबंधन की व्यवस्था को और मजबूत किया जाए।
- मध्यान्ह भोजन बनाने का काम निजी हाथों को नही सौपा जा जाए। इसके लिए ग्राम और शहर में समुदाय द्वारा ही बनाने की व्यवस्था सुनिश्चत की जाए।

Community Health Library and Information Centre
CPHE - SOCHARA
Koramangala
Bangalore - 34
(CLIC)
CH-100
15314

मातृत्व और बाल स्वास्थ

- राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए सभी केन्द्रों में चिकित्सकों के पद भरे जायेंगे और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वहां मुफ्त दवाओं का कार्यक्रम लागू किया जाये. स्वास्थ्य व्यवस्था में लक्षित व्यवस्था (एपीएल – बीपीएल) लागू नहीं की जायेगी. सबको स्वास्थ्य का अधिकार होगा.
- प्रत्येक 20 हजार से 30 हजार की आबादी के बीच एक सर्वसुविधा युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापित किया जाये।
- सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार सुविधाएं सुनिश्चित कराई जाये।
- शहरी क्षेत्रों के लिये खासकर स्लम बस्तियों के लिये स्वास्थ्य योजना बनायी जाये।
- स्वास्थ्य में निजीकरण (खास करके निजी सार्वजनिक साझेदारी पर पूरी तरह से रोक लगाई जाये।
- पंचायत, ब्लाक व जिला स्तर पर मां एव बच्चों के जीवन प्रत्याशा एवं स्वास्थ्य से संबंधित डाटाबेस तैयार किया जाये।
- स्वास्थ्य संस्थाओं की ढांचागत सुविधाओं के अभाव व दिक्कतों को दूर किया जाये। उपस्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आवास सुविधाओं सहित पीने के पानी, स्वच्छता, बाउंड्रीवाल, बिजली आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- मध्यप्रदेश की जनसंख्या के अनुसार स्वास्थ्य संस्थाएं स्थापित की जाएं ताकि स्वास्थ्य संस्थाओं पर अतिरिक्त जनसंख्या का भार न हो। जिलेवार जनसंख्या के अनुपात में स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना के लिए योजना बनायी जाये।
- शिशु रोग और स्त्री एवं प्रसूति रोग चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों के रिक्त पदों को तत्काल भरा जाये।
- आशा एवं एएनएम की दिक्कतों को दूर करने के लिए राज्य, जिला एवं ब्लाक स्तर पर विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जाये। जिससे उनकी दिक्कतों का त्वरित निराकरण हो सके।
- गांव स्तर पर स्वास्थ्य योजनाओं की सोशल आडिट कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाये, उपस्वास्थ्य केन्द्र और ग्रामसभा स्वास्थ्य ग्राम तदर्थ समिति को आवंटित राशि के व्यय एवं उसमें पारदर्शिता एवं लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सोशल आडिट को अनिवार्य किया जाये। इसके लिए राज्य स्तर से सभी पंचायतों, उपस्वास्थ्य केन्द्रों एवं आशा कार्यकर्ता को तत्काल निर्देश भेजा जाये।
- दूरदराज और आदिवासी इलाकों में स्थित उपस्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव सुविधा उपलब्ध करायी जाये।
- स्वास्थ्य सेवा तंत्र का निगरानी तंत्र ज्यादा जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जाये। इस काम के लिए निरंतर जनसुनवाई जैसे तरीकों को सुनिश्चित किया जाये।
- उपस्वास्थ्य केन्द्रों में नियमित परामर्श एवं जांच के लिए दैनिक खुलने का समय निर्धारित किया जाये एवं यह सुनिश्चित किया जाये कि हर रोज कम से कम 4 घंटे उपस्वास्थ्य केन्द्र खुले एवं स्वास्थ्य सेवाएं लोगों के लिए उपलब्ध हों।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र मे जमीनी स्तर पर काम कर रही आशा, उषा व दाई के साथ साथ आंगनबाडी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को स्थाई कर्मचारी बनाया जाये।

कुपोषण

- मध्यप्रदेश को आगामी पांच व र्ा में कुपोषण मुक्त प्रदेश बनाया जाये।
- प्रदेश में पोषण के अधिकार को बच्चों का कानूनी अधिकार बनाया जाये।
- कुपोषण के एकीकृत समुदाय आधारित प्रबंधन की समयबद्ध कार्य योजना बना कर अगले ३ वर्षों में इसे प्रदेश भर में लागू किया जायेगा।

- सांस्कृतिक मान्यताओं और सामुदायिक खाद्य सुरक्षा के मुताबिक आंगनवाड़ियों में पोषण आहार की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- अगले तीन वर्षों में सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों को सभी जरूरी ढांचागत सुविधाओं और संसाधनों के साथ डे–केयर सेंटर या झूलाघर में परिवर्तित कर दिया जाये।
- प्रदेश में बच्चों की कुपोषण से मुक्ति के लिए नीति बने और एक समयबद्व कार्यक्रम शुरू किया जाये।
- आंगनबाड़ियों में सामुदायिक पद्वति के आधार पर रूचिकर पोषण आहार हर समय सुनिश्चत किया किया जाये। अगर पोषण आहार गुणवत्तापूर्ण ना हो तो उसे उपलब्ध कराने वालों पर तुरंत दंडात्मक कार्यवाही की जाये।
- आगामी 4 वर्ष में सभी आंगनबाड़ियों के अपने सर्वसुविधायुक्त भवन स्थापित किए जाएं।
- हर बस्ती और हर बसाहट में आंगनवाड़ी केन्द्र हो। जिसमें सातों सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो और तमाम खाली पद 6 माह में भर दिये जायें।
- आदिम जन जाति से जुड़ी प्रत्येक बस्ती में आंगनवाड़ी केन्द्र हों और उन्हें इसी समुदाय की महिलाओं द्वारा ही संचालित किया जाए।
- मध्यप्रदेश में पोषण आहार का काम ठेकेदारों एवं निजी निर्माताओं के जरिये ना कराया जाये।
- ऐसे क्षेत्रों/जिलों और समुदायों की पहचान की जाये जहां कुपोषण का ज्यादा प्रभाव है। ऐसे क्षेत्रों/वर्गो के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाये।
- दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी बच्चों और अन्य वंचित समुदाय की लड़कियों के लिये पोषण आहार कार्यक्रम में विशिष्ट प्रावधान और व्यवस्थायें की जायें।
- कुपोषण से होने वाली मौतों और बच्चों के स्वास्थ्य के संदर्भ में जवाबदेहिता सुनिश्चित कर तत्काल कार्रवाई की जाये।
- प्रदेश के हर स्वास्थ्य केंद्र में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये और उनके फॉलोअप की जिम्मेदारी भी शासन की हो।
- विधानसभा के हर सत्र में राज्य में कुपोषण से मुक्ति के लिए चल रहे कार्यक्रमों की जिलावार रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान किया जाये।
- हर बच्चे, महिला और किशोरी बालिका को आंगनबाड़ी के साथ जोड़ने के लिए सामाजिक अभियान चलाया जाये।
- कुपोषण से प्रभावित बच्चों के परिवारों की पारिवारिक खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका की स्थिति को केन्द्र में रखकर विशेष कार्यक्रम चलाये जायें ताकि कुपोषण को स्थाई रूप से मिटाया जा सके।
- कुपोषित बच्चों के अस्पताल से लौटने के बाद 3 महीने तक उसके परिवार को पंचायत द्वारा मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाये।
- राज्य स्तर पर टास्कफोर्स /पोषण आयोग का गठन किया जाये, साथ ही संभाग स्तर पर भी टास्कफोर्स बनाई जायें, जिनमें महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग,अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग का प्रतिनिधित्व हो। ये टास्कफोर्स बच्चों में कुपोषण को खत्म करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं (एकीकृत बाल विकास परियोजना और मध्यान्ह भोजन योजना) के सफल और परिणामजनक कियान्वयन के लिए जिम्मेदार–जवाबदेह हो।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जिन परिवारों में कुपोषित बच्चे, महिलायें अथवा किशोरी बालिकायें हैं, उन परिवारों को मनरेगा के तहत 50 दिन का अतिरिक्त कार्य दिया जाये।

- ☞ आंगनबाड़ी केन्द्रों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक अतिरिक्त कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाये जिसकी मुख्य जिम्मेदारी बच्चों के पोषण और स्वास्थ की निगरानी हो।

बाल सुरक्षा

- ☞ किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निपटाया जाये।
- ☞ बाल कल्याण समिति व किशोर न्याय बोर्ड व विशेष किशोर पुलिस ईकाईयों का तत्काल बाल अधिकार आधारित प्रशिक्षण किया जाये ।
- ☞ बाल कल्याण समिति सदस्य के रूप में ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाये जो सिर्फ बाल कल्याण कार्यों के लिए ही प्रतिबद्ध हों तथा इसमें राजनीतिक नियुक्ति पर रोक लगायी जाये।
- ☞ किशोर न्याय बोर्ड में केस को क्षेत्र आधारित न करते हुए जो भी बोर्ड नजदीक हो वहीं केस भेजे जायें।
- ☞ संप्रेक्षण गृह एवं विशेष गृह से निकलने वाले बच्चों को पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास हो और इन बच्चों को भी देखरेख एवं संरक्षण वाले बच्चों की श्रेणी में गिना जाये।
- ☞ सभी जिलों में विशेष किशोर पुलिस ईकाईयों का गठन किया जाये और सभी पदों पर तत्काल नियुक्ति की जाये।
- ☞ गुमशुदा बच्चों के लिए एक मजबूत ट्रेकिंग सिस्टम बनायी जाये, जो पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक हो।
- ☞ किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाये।
- ☞ बच्चों के यौन शोषण और हिंसा की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालतों में तेजी से किया जाए।
- ☞ मध्यप्रदेश में महिलाओं के घटते लिंगानुपात की गंभीरता को देखते हुये पीसीपीएनडीटी एक्ट के क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाये एवं उल्लघंन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये साथ ही साथ इसके सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य एवं जिला सलाहकार समिति को सक्रिय कर जवाबदेह बनाया जाये।
- ☞ यौनिक हिंसा से पीड़ित नाबालिक के सम्पूर्ण शिक्षा, स्वास्थ तथा नौकरी की जिम्मेदारी सरकार द्वारा उठायी जाये।
- ☞ हर थाने में बच्चों की रिपोर्ट तुरंत लिखी जाये व गुमशुदा बच्चों को ढूंढने की सीधी जवाबदेही जिले के एस पी व कलेक्टर की हो।
- ☞ सभी शालाओं के पाठ्यक्रम में आरम्भ से ही लैगिंक संवेदनशीलता के साथ शैक्षणिक पाठ्यक्रम को शामिल किया जाये।
- ☞ प्रदेश के पुलिस विभाग में बाल अधिकारों और बाल व्यापार को लेकर एक नया कैडर बनाया जाये जो केवल बच्चों से सबंधित मुद्दे ही देखे साथ ही साथ पुलिस थानों में तैनात बाल कल्याण अधिकारियों को सघन प्रशिक्षण दिया जाये।

बच्चों के लिए बजट

- ☞ प्रदेश के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सुविधायें, सर्वांगीण विकास एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त बजटीय प्रावधान किये जायें।
- ☞ राज्य के कुल बजट में स्वास्थ्य की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 4 से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करना चाहिए ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए धन की कमी आड़े न आये। साथ ही महिलाओं एवं बच्चों के लिए बजट में ज्यादा प्रावधान किए जाये।
- ☞ शिक्षा अधिकार कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ढांचागत् सुविधाएं उपलब्ध करवाने एवं शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाये।
- ☞ वर्तमान में बच्चों के लिए बाल सुरक्षा का बजट बहुत कम है जिसे बढ़ाया जाये और इसे व्यय भी किया जाये।

संलग्नक 1.

मध्य प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु का जिलावार विवरण

2008-09 और 2012-13

मध्य प्रदेश हेल्थ बुलेटिन 2008–09 एवं 2012–13 के अनुसार मध्य प्रदेश में मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत दर्ज किए गए मातृ एवं शिशु मृत्यु का जिलावार विवरण।

मातृ एवं शिशु मृत्यु							
		अप्रैल–मार्च 2008–09			अप्रैल–मार्च 2012–13		
क्रम सं.	जिला	कुल प्रसव	कुल मातृ मृत्यु	कुल शिशु मृत्यु	कुल प्रसव	कुल मातृ मृत्यु	कुल शिशु मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अलीराजपुर			252	18532	13	72
2	अनूप पुर	20462	0	304	10639	0	40
3	अशोक नगर	25976	24	498	18086	7	267
4	बालाघाट	31103	0	839	25573	9	522
5	बड़वानी	35007	0	819	38398	32	568
6	बेतूल	34494	0	819	26658	24	814
7	भिंड	33950	5	603	29332	3	469
8	भोपाल	53525	0	608	46127	4	234
9	बुरहानपुर	19347	0	208	12804	2	29
10	छतरपुर	42635	0	959	41904	14	783
11	छिंदवाड़ा	49177	0	206	29364	7	164
12	दमोह	32076	0	257	20842	4	240
13	दतिया	13324	0	546	9618	7	211
14	देवास	32497	7	309	28654	21	286
15	धार	46984	0	545	39774	9	196
16	डिंडोरी	16671	0	347	13934	10	247
17	गुना	31120	23	729	31128	9	291
18	ग्वालियर	41285	17	289	33659	3	128
19	हरदा	14784	0	187	11208	4	120
20	होशंगाबाद	29027	11	190	21575	4	97
21	इंदौर	93572	44	21	64773	76	150
22	जबलपुर	58363	22	656	39350	11	241
23	झाबुआ	57517	0	511	28670	7	240

[5]मध्य प्रदेश राज्य हेल्थ बुलेटिन 2008–09 एवं 2012–13

24	कटनी	30034	0	708	20615	28	404
25	खंडवा	34335	28	649	26266	6	255
26	खरगोन	42342	0	643	34367	4	546
27	मंडला	20439	60	895	18668	25	140
28	मंदसौर	29653	0	523	23605	2	229
29	मुरैना	46726	0	413	40287	13	207
30	नरसिंहपुर	24511	0	398	16148	3	148
31	नीमच	22436	19	50	14057	7	48
32	पन्ना	20844	0	325	18252	3	206
33	रायसेन	34424	0	166	24984	8	287
34	राजगढ़	39416	0	138	24162	4	195
35	रतलाम	36242	23	2595	27620	20	536
36	रीवा	54556	12	381	47554	9	167
37	सागर	65672	0	117	45125	26	168
38	सतना	59782	8	1648	37718	0	1311
39	सीहोर	31490	10	645	25625	11	789
40	सिवनी	28449	0	852	21794	17	439
41	शहडोल	29847	41	223	22322	6	199
42	शाजापुर	33983	4	273	25439	8	159
43	श्योपुर	16113	12	342	16343	12	250
44	शिवपुरी	35732	39	280	36135	16	450
45	सीधी	71512	11	46	27464	3	249
46	सिंगरौली			71	28290	7	126
47	टीकमगढ़	33050	0	263	27550	37	207
48	उज्जैन	50683	55	878	32943	9	370
49	उमरिया	15817	0	516	12137	9	187
50	विदिशा	30585	0	11	19101	0	62
MADHYA PRADESH		**1751569**	**475**	**24751**	**1355173**	**573**	**14743**

संलग्नक 2.

मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव का विवरण

वर्ष 2008–09 एवं 2012–13 के बीच

मध्य प्रदेश हेल्थ बुलेटिन 2008–09 एवं 2012–13 के अनुसार मध्य प्रदेश में मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हुए संस्थागत प्रसव एवं इनकी 5 वर्ष में हुई प्रगति का जिलावार विवरण।

	संस्थागत प्रसव का विवरण			
क्रम सं.	जिला	अप्रैल–मार्च 2008–09	अप्रैल–मार्च 2012–13	
		संस्थागत प्रसव (प्रतिशत में)	संस्थागत प्रसव (प्रतिशत में)	प्रगति (प्रतिशत में)
1	अलीराजपुरं		52	
2	अनूप पुर	71%	89	18
3	अशोक नगर	83%	84	1
4	बलाघाट	81%	80	-1
5	बड़वानी	74%	60	-14
6	बेतूल	75%	80	5
7	भिंड	82%	83	1
8	भोपाल	90%	96	6
9	बुरहानपुर	72%	82	10
10	छतरपुर	88%	86	-2
11	छिंदवाड़ा	70%	90	20
12	दमोह	58%	74	16
13	दतिया	86%	87	1
14	देवास	95%	96	1
15	धार	80%	81	1
16	डिंडोरी	42%	60	18
17	गुना	97%	94	-3
18	ग्वालियर	96%	95	-1
19	हरदा	64%	79	15
20	होशंगाबाद	79%	94	15
21	इंदौर	96%	99	3
22	जबलपुर	83%	91	8
23	झाबुआ	66%	82	16
24	कटनी	92%	87	-5

[6] मध्य प्रदेश राज्य हेल्थ बुलेटिन 2008–09 एवं 2012–13

25	खंडवा	72%	93	21
26	खरगोन	79%	82	3
27	मंडला	64%	68	4
28	मंदसौर	89%	95	6
29	मुरैना	79%	97	18
30	नरसिंहपुर	77%	86	9
31	नीमच	86%	92	6
32	पन्ना	85%	92	7
33	रायसेन	77%	83	6
34	राजगढ़	83%	88	5
35	रतलाम	96%	94	-2
36	रीवा	74%	85	11
37	सागर	58%	79	21
38	सतना	83%	82	-1
39	सीहोर	86%	92	6
40	सिवनी	72%	89	17
41	शहडोल	63%	74	11
42	शाजापुर	84%	97	13
43	श्योपुर	80%	82	2
44	शिवपुरी	82%	87	5
45	सीधी	50%	69	19
46	सिंगरौली		52	52
47	टीकमगढ़	74%	87	13
48	उज्जैन	72%	95	23
49	उमरिया	78%	89	11
50	विदिशा	86%	80	-6
मध्य प्रदेश		**78%**	**85**	**7**

संलग्नक 3.

मध्य प्रदेश में टीकाकरण की जरूरत वाले बच्चे एवं संपूर्ण टीकाकरण का जिलावार विवरण

वर्ष 2010–11 एवं 2012–13

मध्य प्रदेश हेल्थ बुलेटिन 2010–11 एवं 2012–13 के अनुसार मध्य प्रदेश में संपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 2008–09 एवं 2012–13 में टीकाकरण की जरूरत वाले बच्चे एवं संपूर्ण टीकाकरण की उपलब्धि का जिलावार विवरण।

2008–09 एवं 2012–13 की तुलनात्मक स्थिति वार्षिक							
क्रम सं.	जिला	Annual Service Need*	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत में	Annual Service Need*	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत में
			2008-09	वार्षिक		2012-13	वार्षिक
1	अलीराजपुर				16845	16101	**96**
2	अनूप पुर	20452	21012	**103**	17387	16343	**94**
3	अशोक नगर	21956	22855	**104**	23716	19421	**82**
4	बलाघाट	40931	29591	**72**	37690	27572	**73**
5	बड़वानी	34861	32869	**94**	43359	36065	**83**
6	बेतूल	38251	32619	**85**	36169	26578	**73**
7	भिंड	43009	46618	**108**	39883	31153	**78**
8	भोपाल	61055	58092	**95**	45819	41896	**91**
9	बुरहानपुर	19522	19328	**99**	16978	14897	**88**
10	छतरपुर	46946	42580	**91**	50486	41907	**83**
11	छिंदवाड़ा	55969	46861	**84**	46305	29199	**63**
12	दमोह	33221	35712	**107**	34886	24561	**70**
13	दतिया	19413	14991	**77**	15160	12088	**80**
14	देवास	41396	41415	**100**	33213	30902	**93**
15	धार	55395	54655	**99**	53370	45801	**86**
16	डिंडोरी	17089	17377	**102**	20204	13876	**69**
17	गुना	31088	33850	**109**	34417	31226	**91**
18	ग्वालियर	51512	54861	**107**	37625	29041	**77**
19	हरदा	14874	13873	**93**	13772	9946	**72**
20	होशंगाबाद	33658	27711	**82**	26655	19877	**75**
21	इंदौर	87987	86163	**98**	65394	61942	**95**
22	जबलपुर	67289	61675	**92**	53045	38468	**73**
23	झाबुआ	43583	53265	**122**	24001	25978	**108**
24	कटनी	32674	29204	**89**	34806	20703	**59**

[7] मध्य प्रदेश राज्य हेल्थ बुलेटिन 2010–11 एवं 2012–13

25	खंडवा	33139	33028	**100**	30519	32117	**105**
26	खरगोन	48860	46999	**96**	47912	32194	**67**
27	मंडला	26604	20705	**78**	25870	16140	**62**
28	मंदसौर	36939	36859	**100**	24338	30556	**126**
29	मुरैना	49653	48522	**98**	46459	37217	**80**
30	नरसिंहपुर	29584	21412	**72**	28426	17700	**62**
31	नीमच	22338	20734	**93**	17696	9969	**56**
32	पन्ना	26741	28633	**107**	30354	23483	**77**
33	रायसेन	35736	37280	**104**	35679	22357	**63**
34	राजगढ़	39646	37173	**94**	39257	27472	**70**
35	रतलाम	38197	37042	**97**	40727	32930	**81**
36	रीवा	62586	58570	**94**	58883	48886	**83**
37	सागर	62805	60789	**97**	64902	48922	**75**
38	सतना	59524	54098	**91**	60758	44104	**73**
39	सीहोर	34478	36290	**105**	34892	33832	**97**
40	सिवनी	35025	26890	**77**	34458	21076	**61**
41	शहडोल	27779	25869	**93**	25407	14475	**57**
42	शाजापुर	40548	41274	**102**	36183	27767	**77**
43	श्योपुर	18046	16209	**90**	15095	10920	**72**
44	शिवपुरी	45825	48971	**107**	51833	43041	**83**
45	सीधी	60070	64673	**108**	28566	24593	**86**
46	सिंगरौली				29413	23330	**79**
47	टीकमगढ़	38388	37454	**98**	36837	30930	**84**
48	उज्जैन	53372	48112	**90**	47266	40757	**86**
49	उमरिया	16104	15822	**98**	18672	14519	**78**
50	विदिशा	38251	32619	**85**	42604	33244	**78**
मध्यप्रदेश		**1892369**	**1813204**	**96**	**1774192**	**1408072**	**79**

संलग्नक 4.

मध्य प्रदेश में बच्चों के टीकाकरण की जिलावार स्थिति।
एन.आई.एन. की रिपोर्ट 2011 के अनुसार

	12–24 माह के बच्चों का टीकाकरण (प्रतिशत में)			विटामिन ए का मैसिव खुराक	आईएफए का कवरेज
	संपूर्ण टीकाकरण	आंशिक टीकाकरण	टीकाकरण नहीं हुआ	9–59 माह के बच्चे	1–5 साल के बच्चे
अलीराजपुर	82.2	11	6.8	71	48.9
अनूप पुर	92	8	-	88.6	3.1
अशोक नगर	88.1	9.5	2.4	73	23.9
बलाघाट	97.3	2.7	-	95.2	8.9
बड़वानी	86.1	9	4.9	71.2	44.9
बेतूल	97.6	1.6	-	85	45.8
भिंड	96.2	1	2.8	90.4	24.3
भोपाल	97.4	2.6	-	91.9	13.9
बुरहानपुर	94.1	5.2	0.7	86.6	48.8
छतरपुर	65.4	23.3	4.5	76	30.3
छिंदवाड़ा	88.5	7.6	1.9	94	32.3
दमोह	54.6	36.9	8.5	72.1	34.9
दतिया	89.8	7.9	2.3	97.8	25.8
देवास	91.5	5.4	0.8	66.1	27.6
धार	84.2	13.9	1.9	91.8	31.3
डिंडोरी	99.1	-	0.9	91.7	4.4
गुना	94.6	-	5.4	90.6	28.1
ग्वालियर	96.6	2.3	1.1	81.9	30.2
हरदा	98.3	1.7	-	84.1	45.3
होशंगाबाद	77.5	19.8	0.9	85.6	13.8
इंदौर	91.8	5.2	2.2	77.2	39.4
जबलपुर	81.7	16.7	1.6	86.9	10
झाबुआ	92.2	3.5	4.3	66.6	46.4
कटनी	92.7	7.3	-	79	2.9
खंडवा	94.4	4.2	1.4	84	53.8
खरगोन	96	2.7	-	78.9	51.3
मंडला	92.2	5.8	2	82.4	5.6
मंदसौर	85.8	13.2	0.9	91.7	32.7
मुरैना	92.3	6.3	1.4	96.6	35.3
नरसिंहपुर	80.2	17.1	2.7	95.2	4.2

नीमच	94.5	3.6	1.8	95.4	37.1
पन्ना	67.2	21.1	11.7	62	25.4
रायसेन	77.7	17	2.7	77.2	10.3
राजगढ़	89.6	8.6	0.9	79.6	-
रतलाम	93	4.4	2.6	88.1	26.2
रीवा	45.5	54.5	-	67	6.4
सागर	98	2	-	96.1	33.6
सतना	32.1	67.9	-	65.6	15.1
सीहोर	75.6	19.8	4.6	81	36.7
सिवनी	96.6	0.9	2.5	94.2	3.6
शहडोल	64.7	30.4	4.9	68.5	22.3
शाजापुर	95.5	2.7	-	87.3	18.8
श्योपुर	100	-	-	90.9	40.6
शिवपुरी	97.5	-	-	95.2	34.8
सीधी	74.2	23.7	-	59.1	19.8
सिंगरौली	55.8	35.8	5.2	65.6	
टीकमगढ़	55.9	38.7	5.4	69.4	23.2
उज्जैन	90.3	7.9	1.8	85	25.4
उमरिया	41.9	54.8	1.1	60.8	18.7
विदिशा	94.8	4.3	0.9	88.9	36
Pooled	**84.2**	**12.4**	**1.2**	**81.7**	**25**
NFHS-3	31.5	62.3			

संलग्नक 5

मध्य प्रदेश में बच्चों के कुपो षण की जिलावार स्थिति
एन.आई.एन. की रिपोर्ट 2011 के अनुसार

0–5 साल के कुपोषित बच्चे UNDER NUTRITION among 0-5 YR CHILDREN (< Median – 2SD)			
	सर्वे वर्ष 2010–11 Current survey (2010-11)		
	कम वजन **Underweight**	**Stunting**	**Wasting**
अलीराजपुर	60.8	52.9	32.6
अनूप पुर	55.8	45	28.9
अशोक नगर	49.9	55.6	20
बलाघाट	48.1	40.7	23.6
बड़वानी	65.1	58	34.8
बेतूल	43.2	38.1	21.1
भिंड	55.1	63.5	16
भोपाल	55.8	47.7	24.6
बुरहानपुर	55.4	48.6	26.7
छतरपुर	48.3	45.9	21.9
छिंदवाड़ा	48.8	44.3	27.3
दमोह	42.9	39.5	26.6
दतिया	59.6	66.7	21.1
देवास	40.9	38.2	22.5
धार	54.4	46.9	33.2
डिंडोरी	61.7	50.3	31.6
गुना	50	48.4	25.3
ग्वालियर	56.6	65.2	21.1
हरदा	53.7	47.6	23.5
होशंगाबाद	38.4	37.6	24.8
इंदौर	34.9	34.1	21.7
जबलपुर	45.7	39.1	24.2
झाबुआ	57	50.3	31.5
कटनी	55.5	51.5	27.4
खंडवा	56.9	45.1	29.8
खरगोन	58	50.6	30.8
मंडला	56.5	47.3	29.6
मंदसौर	52.5	45.1	27

मुरैना	53.2	15.2	15.2
नरसिंहपुर	46.1	49	16.9
नीमच	48.1	36	24.1
पन्ना	50.3	42.1	29
रायसेन	36.3	38.8	19.3
राजगढ़	56.5	46.6	40.2
रतलाम	49.1	42.1	29
रीवा	53.7	58.3	22
सागर	48.3	61.5	19.2
सतना	67.1	66.3	29.5
सीहोर	40.5	41	21.2
सिवनी	52.9	40.3	29.8
शहडोल	56.5	42.1	32.6
शाजापुर	51.7	43.3	30.1
श्योपुर	52.3	64.6	17.9
सीधी	58.8	51.8	34.3
सिंगरौली	55	62	25.7
शिवपुरी	54.5	52	25.4
टीकमगढ़	49.7	45.7	23.1
उज्जैन	45	39.9	26.7
उमरिया	66.6	60.3	32.9
विदिशा	34.7	50.8	16.3
Pooled	**51.9**	**48.9**	25.8
NFHS-3	60	50	35

संलग्नक 6.

मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य केन्द्रों की जिलावार उपलब्धता का विवरण

वर्ष 2007-2008 एवं 2011 के बीच

12वीं पंच वर्षीय योजना 2007–2012 एवं वार्षिक योजना 2007–08– स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2011– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार स्वास्थ्य केन्द्रों की जिलावार उपलब्धता की सूची।

	12वीं पंच वर्षीय योजना 2007-2012 एवं वार्षिक योजना 2007-08 स्वास्थ्य सेवा विभाग, मध्य प्रदेश					भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2011 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य केन्द्रों की जिलावार उपलब्धता				
	(मार्च 2007 के अनुसार)					(मार्च 2011 के अनुसार)				
जिला	उप स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	Sub Divisional Hospital	जिला चिकित्सालय	उप स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	Sub Divisional Hospital	जिला चिकित्सालय
अलीराजपुर						152	15	5	0	1
अनूपपुर	178	17	4	0	1	174	16	7	0	1
अशोक नगर	97	10	3	0	1	97	10	4	0	1
बलाघाट	240	31	5	1	1	289	29	8	1	1
बड़वानी	285	34	8	1	1	236	36	9	1	1
बेतूल	271	31	9	0	1	263	33	10	0	1
भिंड	183	19	7	0	1	186	20	7	0	1
भोपाल	63	10	2	2	1	63	10	3	2	1
बुरहानपुर	95	13	4	0	1	97	13	4	0	1
छतरपुर	189	38	7	0	1	192	37	10	0	1
छिंदवाड़ा	317	66	13	2	1	341	67	13	2	1
दमोह	162	10	6	0	1	163	14	6	1	1
दतिया	87	11	1	2	1	95	10	3	2	1
देवास	192	23	5	1	1	180	22	6	1	1
धार	400	48	12	0	1	399	46	15	0	1
डिंडोरी	159	22	6	0	1	160	23	7	0	1
गुना	119	12	5	0	1	119	15	5	1	1
ग्वालियर	101	15	2	4	1	101	15	2	4	1
हरदा	61	7	2	0	1	56	6	4	0	1
होशंगाबाद	143	15	6	2	1	152	15	6	2	1
इंदौर	111	26	3	4	1	111	25	4	3	1

[8] 12वीं पंच वर्षीय योजना 2007–2012 एवं वार्षिक योजना 2007–08– स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2011

जबलपुर	193	16	5	3	1		185	22	5	3	1
झाबुआ	346	32	10	1	1		190	19	7	0	1
कटनी	162	19	4	1	1		174	30	6	0	1
खंडवा	176	30	6	0	1		276	54	10	2	1
खरगोन	297	51	8	2	1		156	17	6	1	1
मंडला	239	30	8	0	1		248	30	9	0	1
मंदसौर	153	43	3	2	1		170	42	5	2	1
मुरैना	196	17	6	1	1		199	17	8	1	1
नरसिंहपुर	144	20	5	1	1		140	19	7	1	1
नीमच	105	18	1	2	1		104	16	3	2	1
पन्ना	140	14	5	0	1		139	15	6	0	1
रायसेन	175	22	6	0	1		176	19	8	1	1
राजगढ़	166	31	4	2	1		166	29	5	3	1
रतलाम	166	25	4	3	1		158	25	5	2	1
रीवा	268	30	9	0	1		285	28	11	1	1
सागर	245	28	10	1	1		245	27	11	1	1
सतना	258	44	7	1	1		258	43	10	1	1
सीहोर	152	17	5	1	1		154	15	8	1	1
सिवनी	284	29	8	0	1		263	30	7	1	1
शहडोल	175	30	6	0	1		194	28	7	1	1
शाजापुर	173	20	6	5	1		174	19	7	4	1
श्योपुर	89	7	3	0	1		90	9	3	0	1
शिवपुरी	199	12	7	0	1		142	14	5	0	1
सीधी	302	41	8	1	1		249	12	8	0	1
सिंगरौली							145	25	6	0	1
टीकमगढ़	156	18	5	0	1		156	20	7	0	1
उज्जैन	170	21	2	6	1		172	22	5	6	1
उमरिया	108	9	2	0	1		89	12	3	0	1
विदिशा	144	20	4	2	1		146	21	7	2	1
	8834	1152	267	54	48		8869	1156	333	56	50
Pooled											
NFHS-3											

संलग्नक 7.

मध्य प्रदेश में शासकीय एवं प्राइवेट शालाओं की उपलब्धता की जिलेवार संख्या

वर्ष 2008–9 एवं 2011–12 के बीच

एन.यू.ई.पी.ए. की डाइस रिपोर्ट वर्ष 2008–9 से वर्ष 2011–12 के अनुसार राज्य में शासकीय एवं प्राइवेट शालाओं की जिला वार संख्या

जिला	शालाओं की संख्या	शालाओं की संख्या	शालाओं की संख्या	शालाओं की संख्या
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
अलीराजपुर	2233	2295	2295	2302
अनूप पुर	1762	1783	1782	1791
अशोक नगर	1584	1700	1700	1728
बालाघाट	3500	3495	3360	3360
बड़वानी	2916	3073	3073	3141
बेतूल	3069	3118	3118	3158
भिंड	2987	3009	3009	3086
भोपाल	2224	2566	2566	2873
बुरहानपुर	864	879	877	902
छतरपुर	2954	3073	3072	3349
छिंदवाड़ा	4054	4184	4184	4177
दमोह	2236	2359	2359	2357
दतिया	1388	1420	1420	1463
देवास	2893	3077	3054	3064
धार	4618	4839	4839	4951
डिंडोरी	1860	1929	1929	1978
गुना	2442	2558	2543	2584
ग्वालियर	2916	2969	2969	3980
हरदा	1056	1076	1071	1064
होशंगाबाद	2191	2238	2238	2192
इंदौर	3199	3388	3388	3477
जबलपुर	3116	3191	3191	3220
झाबुआ	2480	2610	2610	2649
कटनी	2100	2126	2126	2187
खंडवा	1814	1952	1952	1949
खरगोन	3929	4046	4046	4097

[9] एन.यू.ई.पी.ए. की डाइस रिपोर्ट वर्ष 2008–9 से वर्ष 2011–12

मंडला	2897	2927	2926	2927
मंदसौर	2543	2632	2559	2585
मुरैना	2806	3057	3021	3057
नरसिंहपुर	1987	2031	2031	2019
नीमच	1673	1717	1714	1665
पन्ना	2467	2481	2481	2642
रायसेन	2963	2923	2922	2967
राजगढ़	3162	3253	3253	3362
रतलाम	2794	2829	2826	2814
रीवा	4911	5301	5293	5772
सागर	3661	3755	3754	3793
सतना	4469	4548	4548	4567
सीहोर	2561	2638	2638	2897
सिवनी	3143	3226	3226	3258
शहडोल	2478	2531	2531	2532
शाजापुर	2918	2978	2976	3145
श्योपुर	1160	1347	1347	1363
शिवपुरी	3325	3308	3307	3406
सीधी	2548	2593	2593	2681
सिंगरौली	1901	2016	2016	2085
टीकमगढ़	2440	2495	2495	2622
उज्जैन	3205	3227	3215	3321
उमरिया	1449	1388	1388	1382
विदिशा	2900	2959	2959	3048
कुल	132746	137113	136790	140989

संलग्नक 8

मध्य प्रदेश में शासकीय शालाओं की जिलावार स्थिति[10]

राज्य में शालाओं की जिलावार संख्या					
एजूकेशन पोर्टल दिनांक 20/09/2013 के अनुसार					
जिला	प्राथमिक शाला	माध्यमिक शाला	हाई स्कूल	हायर सेकेण्डरी स्कूल	कुल
अलीराजपुर	1857	326	72	22	2277
अनूप पुर	1186	377	72	51	1686
अशोक नगर	1110	385	36	19	1550
बालाघाट	2097	707	138	87	3029
बड़वानी	2278	649	87	49	3063
बेतूल	2019	850	151	85	3105
भिंड	1751	731	109	35	2626
भोपाल	889	322	41	52	1304
बुरहानपुर	559	212	49	27	847
छतरपुर	1984	697	101	54	2836
छिंदवाड़ा	2677	1017	180	145	4019
दमोह	1488	563	76	58	2185
दतिया	872	371	66	21	1330
देवास	1582	626	83	54	2345
धार	3279	814	139	106	4338
डिंडोरी	1417	424	78	36	1955
गुना	1643	565	67	37	2312
ग्वालियर	1409	558	66	48	2081
हरदा	548	282	46	21	897
होशंगाबाद	1197	538	76	56	1867
इंदौर	1149	587	63	79	1878
जबलपुर	1603	648	95	69	2415
झाबुआ	1971	417	78	42	2508
कटनी	1325	515	75	45	1960
खंडवा	1154	472	80	53	1759
खरगोन	2735	823	150	74	3782

[10] Sources- http://www.educationportal.mp.gov.in ,Date : 20/09/2013

मंडला	2084	602	117	58	2861
मंदसौर	1297	532	93	50	1972
मुरैना	1806	529	90	41	2466
नरसिंहपुर	1235	500	91	45	1871
नीमच	895	372	60	43	1370
पन्ना	1620	665	62	45	2392
रायसेन	1862	656	99	49	2666
राजगढ़	1923	728	115	58	2824
रतलाम	1671	558	84	55	2368
रीवा	3647	891	115	95	4748
सागर	2201	932	152	71	3356
सतना	2687	879	142	89	3797
सीहोर	1444	666	123	61	2294
सिवनी	2158	732	124	66	3080
शहडोल	1613	489	79	52	2233
शाजापुर	1540	733	98	50	2421
श्योपुर	867	266	40	18	1191
शिवपुरी	1383	418	84	38	1923
सीधी	2204	653	93	43	2993
सिंगरौली	1704	609	83	79	2475
टीकमगढ़	1773	569	90	47	2479
उज्जैन	1467	714	91	59	2331
उमरिया	798	375	53	33	1259
विदिशा	1917	697	111	51	2776
कुल	**83575**	**29241**	**4563**	**2721**	**120100**

संलग्नक 9.

मध्य प्रदेश की शासकीय शालाओं में बच्चों के दाखिले का लक्ष्य एवं दाखिले की जिलावार स्थिति[11]

दिनांक 21/09/2013

एजूकेशन पोर्टल दिनांक 21/09/2013 के अनुसार राज्य की शासकीय शालाओं में बच्चों के दाखिले का लक्ष्य एवं दाखिले की जिलावार संख्या

		दाखिले का लक्ष्य			दाखिला		
जिला	कुल शालाएं	बलक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
अलीराजपुर	2277	90856	84487	175343	73724	66375	140099
अनूप पुर	1686	72240	70653	142893	41257	42847	84104
अशोक नगर	1550	94421	87411	181832	72759	75804	148563
बालाघाट	3029	187358	185499	372857	96349	101092	197441
बड़वानी	3063	154976	150781	305757	109692	111357	221049
बेतूल	3105	160879	154976	315855	106080	108402	214482
भिंड	2626	214880	181725	396605	82503	82936	165439
भोपाल	1304	249319	224894	474213	53680	58585	112265
बुरहानपुर	847	69290	63204	132494	34519	35234	69753
छतरपुर	2836	210452	189493	399945	158269	156815	315084
छिंदवाड़ा	4019	205090	196504	401594	130249	133866	264115
दमोह	2185	157485	148498	305983	86483	88648	175131
दतिया	1330	90817	80349	171166	58047	57022	115069
देवास	2345	158125	143698	301823	69981	83126	153107
धार	4338	280990	256320	537310	133349	139784	273133
डिंडोरी	1955	68990	68146	137136	57509	58897	116406
गुना	2312	159414	145581	304995	35521	37269	72790
ग्वालियर	2081	266632	237027	503659	74281	80779	155060
हरदा	897	74568	64794	139362	34589	36339	70928
होशंगाबाद	1867	140269	130997	271266	56540	64111	120651
इंदौर	1878	318137	286782	604919	62223	75044	137267
जबलपुर	2415	204860	188574	393434	94997	98912	193909
झाबुआ	2508	128692	110563	239255	109797	100468	210265
कटनी	1960	126207	120560	246767	93921	96570	190491
खंडवा	1759	132367	120860	253227	95584	97752	193336
खरगोन	3782	204026	195843	399869	104033	112501	216534
मंडला	2861	101441	100655	202096	81484	83881	165365

[11] Sources-http://www.educationportal.mp.gov.in/Enrollments/public/reports/Rpt_Enrollment_Distwise.aspx as on 21 Sep 2013

CH-100
15314

मंदसौर	1972	155677	138290	293967	56797	66674	123471
मुरैना	2466	285007	236696	521703	58239	54709	112948
नरसिंहपुर	1871	115682	104846	220528	59317	62797	122114
नीमच	1370	81256	71385	152641	35897	40776	76673
पन्ना	2392	122310	115642	237952	36084	37294	73378
रायसेन	2666	139798	130589	270387	80024	85799	165823
राजगढ़	2824	171067	157226	328293	97013	115093	212106
रतलाम	2368	174201	156978	331179	54	0	54
रीवा	4748	284566	261531	546097	146240	162036	308276
सागर	3356	264680	247756	512436	136702	141125	277827
सतना	3797	269987	249234	519221	138156	149687	287843
सीहोर	2294	184067	166480	350547	42485	50890	93375
सिवनी	3080	139890	138026	277916	94006	97667	191673
शहडोल	2233	112631	108523	221154	77523	79666	157189
शाजापुर	2421	168548	152086	320634	66604	86295	152899
श्योपुर	1191	82268	73743	156011	52884	53324	106208
शिवपुरी	2993	220800	202726	423526	152391	151182	303573
सीधी	2475	142174	138798	280972	95740	101815	197555
सिंगरौली	1923	140917	132656	273573	97427	102804	200231
टीकमगढ़	2479	170916	156976	327892	90550	86453	177003
उज्जैन	2331	196543	174869	371412	44756	55199	99955
उमरिया	1259	71780	69073	140853	52078	53102	105180
विदिशा	2776	162832	151687	314519	94223	97071	191294
कुल	**120100**	**8180378**	**7524690**	**15705068**	**4012610**	**4215874**	**8228484**

संलग्नक 10.

मध्य प्रदेश की शासकीय शालाओं में शिक्षा अधिकार कानून 2009 के मानकों के अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता एवं आवश्यकता की जिलावार स्थिति

दिनांक 21/09/2013 तक

एजूकेशन पोर्टल दिनांक 21/09/2013 के अनुसार राज्य की शासकीय शालाओं में शिक्षा अधिकार कानून 2009 के मानकों के अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता एवं आवश्यकता की जिलावार संख्या

जिला	हेड मास्टर पे रोल के अनुसार	हेड मास्टर चाहिए आरटीई मानकों के अनुसार	अतिरिक्त हेड मास्टर	हेड मास्टर चाहिए	शिक्षक हैं, पे रोल के अनुसार	शिक्षक होने चाहिए आरटीई मानकों के अनुसार	अतिरिक्त शिक्षक	शिक्षक चाहिए
अलीराजपुर	116	169		53	4238	6312		2074
अनूप पुर	134	166		32	3124	4291		1167
अशोक नगर	155	356		201	2982	5462		2480
बालाघाट	694	501	193		6345	8730		2385
बड़वानी	190	329		139	5496	8901		3405
बेतूल	501	432	69		6593	8818		2225
भिंड	263	439		176	5899	8075		2176
भोपाल	205	328		123	3853	4677		824
बुरहानपुर	156	246		90	1866	3230		1364
छतरपुर	290	895		605	6004	10905		4901
छिंदवाड़ा	342	536		194	8203	11042		2839
दमोह	238	487		249	5095	7310		2215
दतिया	187	271		84	2937	4333		1396
देवास	242	312		70	4847	6800		1953
धार	343	467		124	8960	12016		3056
डिंडोरी	123	177		54	3749	5178		1429
गुना	248	452		204	5142	7843		2701
ग्वालियर	322	351		29	4718	6371		1653
हरदा	162	147	15		1869	2767		898
होशंगाबाद	233	233			4259	5172		913
इंदौर	269	298		29	5691	5623	68	
जबलपुर	295	441		146	5652	7559		1907
झाबुआ	139	357		218	4707	8031		3324
कटनी	233	520		287	4846	6863		2017

[12] Sources-http://www.educationportal.mp.gov.in as on 21 Sep 2013

खंडवा	303	555		252	3970	6662		2692
खरगोन	279	536		257	7352	10884		3532
मंडला	229	268		39	5276	7248		1972
मंदसौर	228	241		13	4116	5469		1353
मुरैना	282	670		388	5859	9159		3300
नरसिंहपुर	159	264		105	3992	5252		1260
नीमच	138	126	12		2708	3553		845
पन्ना	294	375		81	4922	7280		2358
रायसेन	367	291	76		5300	7264		1964
राजगढ़	308	420		112	6767	8486		1719
रतलाम	243	326		83	5294	7056		1762
रीवा	263	585		322	8711	13158		4447
सागर	498	848		350	7601	11537		3936
सतना	322	623		301	8681	11537		2856
सीहोर	267	250	17		4383	6327		1944
सिवनी	380	385		5	6110	8220		2110
शहडोल	196	322		126	3918	6345		2427
शाजापुर	287	290		3	5139	6863		1724
श्योपुर	103	294		191	2750	4257		1507
शिवपुरी	290	842		552	6770	11083		4313
सीधी	252	456		204	5187	7674		2487
सिंगरौली	167	564		397	3521	7511		3990
टीकमगढ़	434	787		353	5380	9696		4316
उज्जैन	260	322		62	5527	7054		1527
उमरिया	169	243		74	2276	4023		1747
विदिशा	219	521		302	5726	8752		3026
कुल	**13017**	**20314**	**382**	**7679**	**254311**	**368659**	**68**	**114416**

संलग्नक 11.

मध्य प्रदेश की शासकीय शालाओं में शिक्षा अधिकार कानून 2009 के मानकों के अनुसार कक्षों की उपलब्धता एवं आवश्यकता की जिलावार स्थिति

दिनांक 21/09/2013 तक

एजूकेशन पोर्टल दिनांक 21/09/2013 के अनुसार राज्य की शासकीय शालाओं में शिक्षा अधिकार कानून 2009 के मानकों के अनुसार कक्षों की उपलब्धता एवं आवश्यकता की जिलावार संख्या

जिला	कुल शालाएं	शालाओं में उपलब्ध कक्षों की संख्या	आर.टी.ई. मानकों के अनुसार कक्षों की आवश्यकता	अतिरिक्त कक्ष हैं	कक्षों की आवश्यकता है
अलीराजपुर	2277	5178	6917	353	2092
अनूप पुर	1686	4472	5036	731	1295
अशोक नगर	1550	3726	6468	145	2887
बालाघाट	3029	8983	10456	1759	3232
बड़वानी	3063	7623	10139	888	3404
बेतूल	3105	9441	10508	1858	2925
भिंड	2626	7616	9579	802	2765
भोपाल	1304	4721	5478	788	1545
बुरहानपुर	847	2552	3802	251	1501
छतरपुर	2836	8329	13032	443	5146
छिंदवाड़ा	4019	11893	13147	2629	3883
दमोह	2185	6393	8709	660	2976
दतिया	1330	3607	5232	284	1909
देवास	2345	6209	7993	719	2503
धार	4338	9436	13767	906	5237
डिंडोरी	1955	4800	5969	746	1915
गुना	2312	6222	9164	358	3300
ग्वालियर	2081	6500	7530	949	1979
हरदा	897	2754	3314	466	1026
होशंगाबाद	1867	5086	6157	768	1839
इंदौर	1878	7068	6668	1573	1173
जबलपुर	2415	7337	9025	904	2592
झाबुआ	2508	5807	9007	352	3552
कटनी	1960	5537	8244	471	3178
खंडवा	1759	5316	8036	441	3161
खरगोन	3782	11497	12712	1909	3124
मंडला	2861	7933	8462	1603	2132
मंदसौर	1972	5662	6487	867	1692

[13] Sources-http://www.educationportal.mp.gov.in as on 21 Sep 2013

मुरैना	2466	8312	10763	1337	3788
नरसिंहपुर	1871	4836	6277	549	1990
नीमच	1370	3784	4188	639	1043
पन्ना	2392	6473	8522	802	2851
रायसेन	2666	6454	8445	650	2641
राजगढ़	2824	7974	9988	948	2962
रतलाम	2368	5995	8243	518	2766
रीवा	4748	12354	15142	2155	4943
सागर	3356	10062	13874	947	4759
सतना	3797	10675	13506	1454	4285
सीहोर	2294	6113	7456	842	2185
सिवनी	3080	8747	9779	1598	2630
शहडोल	2233	6422	7483	966	2027
शाजापुर	2421	6833	8131	764	2062
श्योपुर	1191	2869	5001	211	2343
शिवपुरी	2993	9692	13120	1133	4561
सीधी	2475	7615	9080	1225	2690
सिंगरौली	1923	5540	8802	502	3764
टीकमगढ़	2479	6294	11530	333	5569
उज्जैन	2331	6714	8344	766	2396
उमरिया	1259	3515	4829	361	1675
विदिशा	2776	6844	10382	433	3971
कुल	**120100**	335815	433923	43756	141864

संलग्नक 12.

मध्य प्रदेश में कक्षा 6 की बालिकाओं को मुफ्त साइकिल प्रदाय के लिए मांग एवं वितरण की जिलावार स्थिति दिनांक 21/09/2013 तक

एजूकेशन पोर्टल दिनांक 21/09/2013 के अनुसार राज्य की शासकीय शालाओं में कक्षा 6 की बालिकाओं को मुफ्त साइकिल प्रदाय के लिए मांग एवं वितरण की जिलावार संख्या

जिला	साइकिल के लिए मांग	साइकिल का प्रदाय किया गया
अलीराजपुर	10188	8266
अनूप पुर	15430	14378
अशोक नगर	21597	17682
बालाघाट	52846	42915
बड़वानी	24210	23271
बेतूल	33103	26214
भिंड	26191	17111
भोपाल	10634	9831
बुरहानपुर	6764	5638
छतरपुर	47414	38918
छिंदवाड़ा	53955	46217
दमोह	30516	24771
दतिया	16827	14294
देवास	23392	22480
धार	41032	29199
डिंडोरी	22510	16896
गुना	29315	24206
ग्वालियर	14456	14227
हरदा	7130	6584
होशंगाबाद	16384	14813
इंदौर	10942	10333
जबलपुर	30513	27213
झाबुआ	21609	15328
कटनी	24491	21778
खंडवा	25734	19175

[14] Sources-http://www.educationportal.mp.gov.in as on 21 Sep 2013

खरगोन	48948	42718
मंडला	29184	23565
मंदसौर	20357	16498
मुरैना	61934	53095
नरसिंहपुर	21107	20002
नीमच	12434	10891
पन्ना	24960	20115
रायसेन	28816	24950
राजगढ़	32545	23645
रतलाम	18500	17528
रीवा	51517	45656
सागर	50034	47688
सतना	41322	38401
सीहोर	19320	19301
सिवनी	49110	40204
शहडोल	23944	21323
शाजापुर	16811	14333
श्योपुर	21292	18520
शिवपुरी	63755	54513
सीधी	22454	19980
सिंगरौली	27018	19999
टीकमगढ़	38777	31180
उज्जैन	19449	17032
उमरिया	11271	10142
विदिशा	34947	28375
कुल	कुल मांग **-1406989**	कुल वितरण **- 1191392**

<u>**संलग्नक 13**</u>

मध्य प्रदेश में लिंगानुपात की जिलावार तुलनात्मक स्थिति
वर्ष 2010-11 एवं 2012-13 के बीच

मध्य प्रदेश हेल्थ बुलेटिन 2010–11 एवं 2012–13 के अनुसार मध्य प्रदेश में मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत दर्ज किए गए शिशु जन्म के अनुसार शिशु लिंगानुपात का जिलावार विवरण।[15]

जन्म के अनुसार लिंगानुपात									
		अपैल–मार्च 2010–11				अपैल–मार्च 2012–13			
क्रम संख्या	जिला	जीवित जन्म संख्या			प्रति 1000 पुरूष पर महिला संख्या	जीवित जन्म संख्या			प्रति 1000 पुरूष पर महिला संख्या
		महिला	पुरूष	कुल		महिला	पुरूष	कुल	
1	अलीराजपुर	10306	10881	21187	947	9116	9777	18893	932
2	अनूप पुर	6997	7262	14259	964	4920	5381	10301	914
3	अशोक नगर	8877	9271	18148	958	8618	9006	17624	957
4	बलाघाट	14251	14799	29050	963	13121	13698	26819	958
5	बड़वानी	17671	18963	36634	932	18130	19798	37928	916
6	बेतूल	15164	15881	31045	955	12877	13457	26334	957
7	भिंड	15571	17126	32697	909	13477	14880	28357	906
8	भोपाल	23070	24601	47671	938	22144	23757	45901	932
9	बुरहानपुर	4812	5528	10340	870	5925	6501	12426	911
10	छतरपुर	21072	22684	43756	929	20148	21174	41322	952
11	छिंदवाड़ा	20720	21884	42604	947	13558	14542	28100	932
12	दमोह	13430	14160	27590	948	10818	11709	22527	924
13	दतिया	6819	7191	14010	948	4254	4874	9128	873
14	देवास	15336	16619	31955	923	13672	14743	28415	927
15	धार	22586	24567	47153	919	18841	20022	38863	941
16	डिंडोरी	7465	7774	15239	960	6749	6964	13713	969
17	गुना	15143	16353	31496	926	15118	15686	30804	964
18	ग्वालियर	18162	20389	38551	891	15553	17389	32942	894
19	हरदा	6097	6405	12502	952	5496	5698	11194	965
20	होशंगाबाद	11602	12645	24247	918	9953	11043	20996	901
21	इंदौर	39872	41317	81189	965	30569	33613	64182	909
22	जबलपुर	23429	25377	48806	923	18770	20326	39096	923

[15] मध्य प्रदेश हेल्थ बुलेटिन 2010–11 एवं 2012–13

23	झाबुआ	15813	16643	32456	950	13648	14630	28278	933
24	कटनी	13871	15045	28916	922	9938	10529	20467	944
25	खंडवा	16639	17482	34121	952	10944	11386	22330	961
26	खरगोन	19535	21080	40615	927	16255	17669	33924	920
27	मंडला	8530	8781	17311	971	8320	8342	16662	997
28	मंदसौर	14039	15173	29212	925	11331	12408	23739	913
29	मुरैना	20111	21927	42038	917	17608	19935	37543	883
30	नरसिंहपुर	13138	14482	27620	907	7555	8053	15608	938
31	नीमच	7027	7793	14820	902	6719	7490	14209	897
32	पन्ना	10478	11227	21705	933	8762	9146	17908	958
33	रायसेन	14674	16232	30906	904	9885	10875	20760	909
34	राजगढ़	14111	14767	28878	956	11199	11615	22814	964
35	रतलाम	16511	17836	34347	926	13678	14640	28318	934
36	रीवा	25894	28116	54010	921	22114	23823	45937	928
37	सागर	28592	30491	59083	938	22352	23509	45861	951
38	सतना	19344	21193	40537	913	17941	19137	37078	938
39	सीहोर	16092	16881	32973	953	12697	13217	25914	961
40	सिवनी	11835	12064	23899	981	10467	11071	21538	945
41	शहडोल	12730	13227	25957	962	10388	10846	21234	958
42	शाजापुर	13656	14628	28284	934	12408	13279	25687	934
43	श्योपुर	8087	8812	16899	918	7787	8550	16337	911
44	शिवपुरी	18359	19754	38113	929	17146	18395	35541	932
45	सीधी	13719	14448	28167	950	12908	13556	26464	952
46	सिंगरौली	15394	16689	32083	922	13484	14505	27989	930
47	टीकमगढ़	13967	14979	28946	932	11297	12234	23531	923
48	उज्जैन	16861	18127	34988	930	15748	16654	32402	946
49	उमरिया	6965	7443	14408	936	5713	6186	11899	924
50	विदिशा	14616	15348	29964	952	7999	8840	16839	905
मध्य प्रदेश		**759040**	**812345**	**1571385**	**934**	**638118**	**684558**	**1322676**	**932**

संलग्नक 14.

मध्य प्रदेश में गुमशुदा बच्चों की जिलावार तुलनात्मक स्थिति
वर्ष 2008 एवं 2012 के बीच

Distrrict	Sex	2008				2012		
		Missing	Found	Not found		missing	Found	not found
Gwalior	Boy	73	68	5		106	62	44
	Girl	30	25	5		122	51	71
Shivpuri	Boy	59	57	2		61	41	20
	Girl	48	43	5		101	65	36
Guna	Boy	40	39	1		74	62	12
	Girl	51	48	3		83	61	22
Ashok Nagar	Boy	34	32	2		33	30	3
	Girl	30	30	0		67	53	14
Morena	Boy	75	73	2		82	75	7
	Girl	36	37	-1		67	56	11
Bhind	Boy	41	37	4		47	36	11
	Girl	31	27	4		60	51	9
Sheopur	Boy	2	2	0		5	5	0
	Girl	2	2	0		20	15	5
Datia	Boy	21	19	2		28	24	4
	Girl	22	20	2		38	29	9
Indore	Boy	364	305	59		366	314	52
	Girl	466	348	118		638	481	157
Dhar	Boy	55	36	19		72	58	14
	Girl	156	79	77		339	199	140
Jhabua	Boy	16	12	4		23	15	8
	Girl	54	49	5		117	58	59
Khargone	Boy	45	45	0		42	27	15
	Girl	110	96	14		179	62	117
Khandwa	Boy	49	49	0		44	36	8
	Girl	80	72	8		135	80	55
Badwani	Boy	26	25	1		22	20	2
	Girl	48	45	3		108	85	23
Burhanpur	Boy	18	17	1		31	29	2
	Girl	33	31	2		54	46	8
Alirajpur	Boy	12	11	1		9	8	1
	Girl	27	26	1		70	50	20
Ujjain	Boy	149	127	22		89	70	19
	Girl	142	130	12		67	52	15
Mandsaur	Boy	52	51	1		50	45	5
	Girl	75	71	4		81	69	12
Neemach	Boy	26	24	2		46	39	7

[16]2008 के आंकडे – मध्य प्रदेश विधान सभा में दी गयी जानकारी के अनुसार और 2012के आंकडे –सी .आई. डी भोपाल

	Girl	42	34	8		94	55	39
Ratlam	Boy	68	67	1		64	59	5
	Girl	83	79	4		96	70	26
Dewas	Boy	44	43	1		62	56	6
	Girl	80	67	13		151	103	48
Shajapur	Boy	37	34	3		38	28	10
	Girl	46	36	10		70	54	16
Jabalpur	Boy	326	268	58		297	259	38
	Girl	287	220	67		388	314	74
Katni	Boy	64	58	6		86	77	9
	Girl	92	79	13		144	105	39
Chindwara	Boy	137	133	4		158	139	19
	Girl	207	176	31		389	270	119
Shivni	Boy	73	72	1		72	67	5
	Girl	79	73	6		112	100	12
Narsinghpur	Boy	68	63	5		74	67	7
	Girl	65	59	6		119	79	40
Sagar	Boy	66	65	1		59	53	6
	Girl	74	65	9		86	62	24
Panna	Boy	36	32	4		29	25	4
	Girl	32	25	7		89	51	38
Damoh	Boy	61	55	6		57	31	26
	Girl	113	85	28		158	57	101
Chattarpur	Boy	36	35	1		49	12	37
	Girl	26	23	3		75	15	60
Tikamgarh	Boy	41	38	3		37	33	4
	Girl	29	26	3		114	88	26
balaghat	Boy	56	53	3		47	43	4
	Girl	90	76	14		162	115	47
Mandla	Boy	12	12	0		57	47	10
	Girl	25	12	13		131	71	60
Rewa	Boy	209	170	39		207	163	44
	Girl	159	112	47		218	147	71
Satna	Boy	189	169	20		181	146	35
	Girl	151	141	10		207	146	61
Sidhi	Boy	47	47	0		70	54	16
	Girl	55	53	2		114	68	46
Singroli	Boy	38	35	3		55	46	9
	Girl	49	45	4		70	60	10
Shahdol	Boy	64	64	0		121	90	31

	Girl	71	62	9		148	108	40
Anoopur	Boy	46	42	4		32	27	5
	Girl	54	52	2		97	73	24
Umaria	Boy	29	27	2		35	23	12
	Girl	25	23	2		49	32	17
Dindori	Boy	7	7	0		21	14	7
	Girl	38	35	3		61	47	14
Hoshangabad	Boy	87	84	3		97	90	7
	Girl	132	112	20		187	143	44
Harda	Boy	18	30	-12		43	35	8
	Girl	55	43	12		59	46	13
Raisen	Boy	72	66	6		60	54	6
	Girl	107	89	18		121	93	28
Betul	Boy	105	99	6		73	58	15
	Girl	126	107	19		142	93	49
Bhopal	Boy	384	374	10		368	321	47
	Girl	363	339	24		447	344	103
Sehore	Boy	69	68	1		49	43	6
	Girl	83	83	0		125	99	26
Rajgarh	Boy	30	28	2		53	43	10
	Girl	46	43	3		103	75	28
Vidisha	Boy	83	77	6		92	74	18
	Girl	80	69	11		175	114	61
Rail Bhopal	Boy	4	2	2		5	4	1
	Girl	1	1	0		9	6	3
Rail jabalpur	Boy	2	2	0		1	1	0
	Girl	2	2	0		8	5	3
Rail indore	Boy	1	1	0		0	0	0
	Girl	5	5	0		6	4	2
Madhya Pradesh		**8179**	**7179**	**1000**		**11049**	**8153**	**2896**

Totals	**2008**	Missing	Found	Not found		2012 missing	Found	not f ound
Boy total		3766	3449	317		3979	3278	701
Girl Total		4413	3730	683		7070	4875	2195
Grand Total		8179	7179	1000		11049	8153	2896

संदर्भ

- Annual Status of Education Report (ASER) 2008
- Annual Status of Education Report (ASER) 2012
- MP Human Development Report 2007
- राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन विश्वविघालय (एन.यू.ई.पी.ए.) की ''स्टेट रिर्पोट कार्ड 2008–2009''
- राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन विश्वविघालय(एन.यू.ई.पी.ए.) की ''स्टेट रिर्पोट कार्ड (प्रोविजनल रिर्पोट) 2011–2012
- 2012 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास द्वारा जारी रिर्पोट ''निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वर्ष 2''
- एएचएस फर्स्ट अपडेशन बुलेटीन 2011–12
- मध्य प्रदेश में बच्चों की स्थिति पर एक विश्लेषण रिपोर्ट हिफाज़त
- मध्यप्रदेश के 9 जिलो में मां और बच्चों के लिये उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की पड़ताल 2012 – मध्यप्रदेश लोक संघर्ष साझा मंच
- मध्यप्रदेश स्वर्णिम भविष्य,समावेशी विकास,मध्यप्रदेश शासन
- बड़े फैसले–बड़ा बदलाव आगे बढ़ता मध्यप्रदेश (म.प्र. जनसम्पर्क विभाग)
- भारत सरकार की सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की स्थिति रिर्पोट 2011
- सोशल वॉच मध्यप्रदेश की रिर्पोट म.प्र. विधान सभा में प्रश्नकाल
- http://www.mediaforrights.org/
- www.mpinfo.org/
- http://sanketindia.org
- MP Education Portal
- SRS_Bulletin-September_2013
- Woman Status in MP and Planned Intervention
- A Gender Review, State Planning Commission,MP 2010

कविता– बच्चों के बारे में

बच्चों के बारे में
बनाई गईं ढेर सारी योजनाएं
ढेर सारी कविताएं
लिखी गईं बच्चों के बारे में
बच्चों के लिए
खोले गए ढेर सारे स्कूल
ढेर सारी किताबें
बांटी गईं बच्चों के लिए
बच्चे बड़े हुए
जहां थे
वहां से उठ खड़े हुए
बच्चों में से कुछ बच्चे
हुए बनिया हाकिम
और दलाल
हुए मालामाल और खुशहाल
बाकी बच्चों ने सड़क पर कंकड़ कूटा
दुकानों में प्यालियां धोईं
साफ किया टट्टी घर
खाए तमाचे
बाजार में बिके कौड़ियों के मोल
गटर में गिर पड़े
बच्चों में से कुछ बच्चों ने
आगे चलकर
फिर बनाईं योजनाएं
बच्चों के बारे में
कविताएं लिखीं
स्कूल खोले
किताबें बांटीं
बच्चों के लिए

गोरख पांडेय

हमारे बारे में

मध्यप्रदेश लोक संघर्ष साझा मंच एवं हिफाजत बच्चों के अधिकारों के लिए स्वैच्छिक रूप से काम करने वाले जनसंगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों के गैर–राजनैतिक गठबंधन हैं। इन मंचों का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों में जीवन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता के अधिकार की प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता बढ़ाना है।

व्यापक और स्थाई बदलाव के लिए राजनीति को सकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना शोषण, असमानता, भेदभाव, अन्याय को समाप्त करना सम्भव नही है। हम समाज के सबसे वंचित बहिष्कृत तबके और उनके बच्चों के हकों के पक्ष में खड़े हैं एवं मुद्‌दों पर आधारित राजनैतिक बहस, मीडिया के साथ संवाद, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में जनपैरवी के माध्यम से बच्चों के पक्षकार के रूप में प्रयासरत हैं।

सहभागी संस्था/जन संगठन

समाज चेतना अधिकार मंच, भूमिहीन श्रमिक कृषक अधिकार मंच, बिरसा मुंडा भू अधिकार मंच (रीवा), आदिवासी अधिकार मंच (सतना), सहयोग–सपोर्ट इन डेवलपमेंट (श्योपुर), खेड़ूत मजदूर चेतना संगठन (अलीराजपुर), आदिवासी दलित मोर्चा (डिंडोरी), आदिवासी दलित मोर्चा (मंडला), विकल्प समाज सेवी संस्था (मंडला), ग्रामीण विकास समिति (दमोह), परवरिश संस्था (ग्वालियर), जन साहस (देवास), विकास संवाद (भोपाल), दीनबंधु सामाजिक संस्था (इंदौर), अर्बन एंड रूरल ग्रोथ एकेडमी 'ऊर्जा' (भोपाल), टूवर्डस् एक्शन एंड लर्निंग 'ताल' (धार), दर्श सागर, निरंतर (हरदा), सिंह शक्ति शिक्षण संस्था (बैतूल), संकल्प (शहडोल), आरोहण, संकेत डेवलपमेंट ग्रुप (भोपाल), चाइल्ड राइट्स एंड यू 'क्राई' (नई दिल्ली),संवेदना (भोपाल)